'प्राथमिक शिक्षक' राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की एक त्रैमासिक पत्रिका है। इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षकों और संबद्ध प्रशासकों तक केंद्रीय सरकार की शिक्षा नीतियों से संबंधित जानकारियाँ पहुँचाना, उन्हें कक्षा में प्रयोग में लाई जा सकने वाली सार्थक और संबद्ध सामग्री प्रदान करना और देशभर के विभिन्न केंद्रों में चल रहे पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों आदि के बारे में समय पर अवगत कराते रहना। शिक्षा जगत् में होने वाली गतिविधियों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भी यह पत्रिका एक मंच प्रदान करती है।

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के अपने होते हैं। अत: यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक चिंतन में परिषद् की नीतियों को ही प्रस्तुत किया गया हो। इसलिए परिषद् का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

अकादमिक संपादक

लता पाण्डे

अकादमिक संपादकीय मंडल

इंदु कुमार

रमेश कुमार

नरेश यादव	*मुख्य संपादक (प्रभारी)*
रेखा अग्रवाल	*संपादक*
राजेन्द्र चौहान	*सहायक उत्पादन अधिकारी*

मूल्य एक प्रति – ₹ 65 वार्षिक – ₹ 260

कविता

बच्चे नहीं होते सिर्फ़ कोरी स्लेट*

रामगोपाल रैकवार

बच्चे नहीं होते सिर्फ़ कोरी स्लेट
कि उन पर कुछ भी लिखा जाए
न ही गीली मिट्टी
कि उन्हें कैसा भी आकार दिया जा सके
कच्चे घड़े भी नहीं होते बच्चे
कि उन्हें अंदर सहारा देकर,
बाहर से पीटा जाए
बच्चे महज़ बच्चे नहीं होते
बच्चे भेड़-बकरी नहीं होते हैं
कि उन्हें जब चाहे जैसा चाहे,
हाँक दिया जाए
भेड़चाल भी नहीं चलते बच्चे
वे अपने रास्ते खुद बनाते हैं
बच्चों को बनाएँ नहीं
वे जो बनना चाहते हैं,
वह बनने में सिर्फ़ उनकी मदद करें
कोई भी बच्चा,
कभी भी बुरा नहीं बनना चाहता
बच्चों को बुरा बड़े बनाते हैं
यह सच है कि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं
पर तब तक
जब तक हम उन्हें झूठ बोलना नहीं सिखा देते
यह भी सच है बच्चे भी झूठ बोलते हैं
जब उन्हें सच बोलने पर सज़ा दी जाती है
बच्चों को कुछ सिखाना है
तो उसे करके दिखाएँ
बच्चे हमसे यही रखते हैं अपेक्षा
हम बच्चों से कुछ अपेक्षा रखें?
इससे पहले उनकी अपेक्षा पर खरे उतरें
क्योंकि, बच्चे महज़ 'बच्चे' नहीं होते।

---

* राज्य शिक्षा केंद्र, मध्य प्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका ***पलाश***, अप्रैल-मई 2006 से साभार

प्राथमिक शिक्षक

वर्ष : 36 अंक 2 अप्रैल 2012

इस अंक में

संवाद 3

लेख

1. शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्व — मनोज कुमार गुप्ता 5
2. सीखने-सिखाने के तरीके — वीरा लायल 9
3. शिक्षा में सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध — विश्व विजया सिंह 12
4. पूर्व-प्राथमिक केंद्र और अभिभावक — रीतू चंद्रा 17
5. जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में लैंगिक अनुपात में बदलाव एवं उसके अनुप्रयोग — रमेश कुमार 22
6. बच्चे अध्यापक की परीक्षा लेते हैं — कन्हैयालाल वर्मा 27

अनुभव

7. आने लगी हैं तितलियाँ स्कूल में — अक्षय कुमार दीक्षित 30

शोध

8. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन — ऋतु खन्ना 35

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी NCERT

विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

परस्पर आवेष्टित हंस राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) के कार्य के तीनों पक्षों के एकीकरण के प्रतीक हैं– (i) अनुसंधान और विकास, (ii) प्रशिक्षण, तथा (iii) विस्तार। यह डिज़ाइन कर्नाटक राज्य के रायचूर ज़िले में मस्के के निकट हुई खुदाइयों से प्राप्त ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के अशोकयुगीन भग्नावशेष के आधार पर बनाया गया है।

उपर्युक्त आदर्श वाक्य *ईशावास्य उपनिषद्* से लिया गया है जिसका अर्थ है– विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है।

9. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन — अश्वनी कुमार गौड़ 39

बालमन कुछ कहता है

10. हिंदी के विलोम शब्द — श्रेया सिंह 48

11. खेलना अच्छा लगता है — स्नेहा 49

12. मॉनिटर — सृष्टि भदूला 50

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका के बारे में 51

कविता

13. बच्चे नहीं होते सिर्फ़ कोरी स्लेट — रामगोपाल रैकवार

संवाद

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक पहली अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ है। यह कानून देश के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह कानून हर बच्चे को विद्यालय में प्रवेश दिलाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बच्चा तभी सीखता है जब विद्यालय का वातावरण भय तथा तनाव से मुक्त हो, जब बच्चे को शिक्षक से प्यार तथा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिले, जब कक्षा में सीखने-सिखाने की रोचक विधियाँ हों। यह कानून शिक्षकों की प्रतिबद्धता की बात करता है। वास्तव में शिक्षक का व्यवहार, उसके पढ़ाने के तरीकों, पाठ्यसामग्री में निहित सोच को बच्चों तक पहुँचाने की विधियाँ – इन सबका बच्चे के सीखने पर गहरा असर पड़ता है। शिक्षक सफल है तो बच्चा सफल है और बच्चा असफल है तो शिक्षक भी कहीं असफल है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रत्येक शिक्षक शिक्षा का अधिकार कानून में उल्लिखित अपने दायित्वों की जानकारी भलीभाँति रखता हो। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अंक की शुरुआत – शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्व, लेख से की गयी है ताकि हमारे सभी शिक्षक साथी अपने दायित्वों को जानकर उनका निर्वहन कर सकें। अब समय आ गया है कि शिक्षक बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के अपने कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्ध हों।

हर बच्चा मन में उमंग और उत्साह लिए विद्यालय में कदम रखता है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है, सीखना चाहता है। यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक कक्षा के प्रत्येक बच्चे को स्नेह दें, उसकी हर बात ध्यान और धैर्य से सुनें, उससे आत्मीय नाता बनाएँ और बच्चे की रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ करवाएँ। बच्चे को शिक्षक से स्नेह मिलेगा तो वह शिक्षक को उससे भी अधिक स्नेह और सम्मान देगा। बच्चे की आयु, स्तर और रुचि को केंद्र में रखते हुए सीखने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की भी है कि प्रत्येक शिक्षक अनुशासन की पारंपरिक अवधारणाओं पर पुनर्विचार करे। अनुशासन के नाम पर बच्चे को शारीरिक, मानसिक अथवा किसी भी प्रकार का दंड देने का दुष्परिणाम सुप्रसिद्ध शिक्षाविद् गिजुभाई बधेका ने अपनी कविता ***खून का पानी*** *में कुछ इस तरह से व्यक्त किया है –*

कल के अध्यापक ने सोचा था
कि दंड और पुरस्कार देने से ही बालक में बुद्धि आएगी
कल के अध्यापक ने सोचा था
कि किताबी पाठ और कविता रटने से ही ज्ञान मिलता है।
कल के अध्यापक ने सोचा था
कि सख्त नियमों की बेड़ियाँ पहनाने से बालक संयमी बनेगा।
उसने सोचा था
कि शिक्षण में स्वतंत्रता देंगे तो विद्यार्थी पढ़ेगे नहीं।
इसलिए उन्हें दबाकर रखना चाहिए।
इसलिए उसने ज्ञान का संपूर्ण क्षेत्र विद्यार्थियों
की पढ़ाई के लिए निर्धारित कर दिया।
और परीक्षा को ही एक मात्र जीवन लक्ष्य मानकर
उसी की उपासना में अपने और
विद्यार्थियों के खून का पानी कर दिया।

शिक्षक कक्षा के प्रत्येक बच्चे का प्यार, विश्वास और सम्मान दंड से नहीं बल्कि उसे स्नेह देकर हासिल कर सकता है, यह बात यदि प्रत्येक शिक्षक अच्छी तरह समझ लें तो सीखना हर बच्चे के लिए संभव होगा।

अकादमिक संपादक

शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्व

मनोज कुमार गुप्ता*

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 संपूर्ण देश में पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस कानून से देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। लेकिन बच्चों का सीखना तभी संभव हो सकता है जब उन्हें शिक्षकों से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार मिले, शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो। शिक्षकों की प्रतिबद्धता ही बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति की ओर ले जाएगी। प्रस्तुत लेख शिक्षा का अधिकार कानून और शिक्षकों के उत्तरदायित्वों पर आधारित है।

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। यह एक ऐसा कानून है जिससे विकासशील भारत के आगत भविष्य में व्यापक, लाभदायी और परिवर्तनशील परिणाम होंगे। यह कानून प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 1 से 8 और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था सभी विद्यालय में उपलब्ध करवाता है। जिस प्रकार आर.टी.आई. (सूचना का अधिकार) के व्यापक परिणाम हमारे सामने हैं, जिससे प्रशासन में काफ़ी हद तक पारदर्शिता आयी है ठीक उसी तरह देश की समृद्धि तथा विकास के लिए संपूर्ण साक्षर भारत के सपने को यह पूरा करने वाला साबित होगा।

प्रमुख मुद्दे एवं संबंधित धाराएँ –

- 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को आस-पास के स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा मिलेगी, जिसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं खर्चा करना होगा। (धारा 3)
- कभी स्कूल से न जुड़े बच्चों या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश मिलेगा। यानि कोई बालिका यदि 8 वर्ष की है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा। ऐसे में सीधे प्रवेश के कारण प्रवेशित बालिका को कक्षा के अन्य बच्चों के समान स्तर पर लाने के लिए तय प्रक्रियान्तर्गत विशेष प्रशिक्षण/सहायता दी जाएगी। (धारा 4)

**व्याख्याता*, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गाडरवाड़ा, नूरजी झालावाड़ा, राजस्थान।

- केंद्र सरकार शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानक विकसित कर उन्हें लागू करेगी। (धारा 7)
- LKG, UKG, Prep सहित प्राथमिक कक्षाओं में समस्त प्राइवेट विद्यालयों को 25 प्रतिशत स्थान उन बच्चों के लिए सुरक्षित रखने होंगे जो कमजोर एवं पिछड़े वर्ग से हैं। (धारा 12)
- प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। (धारा 13)
- कोई भी बच्चा न तो फेल होगा, न ही किसी कारण से स्कूल से निकाला जाएगा। (धारा 16)
- बच्चों के साथ मारपीट या अपमानजनक शब्दों से संबोधन नहीं। (धारा 17)
- बोर्ड परीक्षा कक्षा 8 तक नहीं। (धारा 30)

शिक्षकों के उत्तरदायित्व –

आर.टी.ई. लागू होने के बाद निश्चित रूप से शिक्षक वर्ग के उत्तरदायित्व बढ़े हैं, ज़िम्मेदारियाँ व काम करने के तरीकों में कानूनी बाध्यताएँ बढ़ी हैं। यदि शिक्षक नियमानुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ़ कार्यवाही अभिप्रस्तावित हैं। शिक्षक को अपने पारंपरिक ढर्रे से अलग तय मापदंडों के अनुसार बच्चों के हित में काम करना ही होगा। सिर्फ़ पढ़ाना पर्याप्त नहीं है। पढ़ाने के तरीके रोचक, गतिविधि आधारित, बच्चों को अधिकाधिक चिंतन, सूझ, कल्पना, अनुभव आदि के अवसर देने वाले होने चाहिए। हर बच्चों की प्रगति का ब्यौरा सतत् और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखा जाना अपेक्षित है। नियत समय पर बच्चे का सीखना सुनिश्चित करना होगा। तय समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना है। आर.टी.ई. 2009 अधिनियम के अनुसार अब शिक्षकों के कतिपय मुख्य उत्तरदायित्व इस प्रकार से होंगे –

- शिक्षक को प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे विद्यालय में देने होंगे, जिसमें तैयारी के घंटे भी हैं।
- प्रभारी शिक्षक को अविलंब अन्य विद्यालय में प्रवेश चाहने वाले बच्चे को स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करना होगा। टी.सी. प्रस्तुति में विलम्ब के कारण प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। (धारा 5)
- बच्चा किसी भी कारण से फेल या निष्कासित नहीं होगा, अर्थात् यदि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आते हैं तो उनको सीखना ही होगा। (धारा 16)
- बच्चों के साथ मारपीट व अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही। (धारा 17)
- स्कूल में नियमित आकर समय का पालन करना, पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे तय समय में पूरा करना होगा। प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और उसकी गति को जाँचकर उसका वैयक्तिक अभिलेख संधारित करना होगा। इसी ब्यौरे या पोर्टफोलियो के आधार पर शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाना होगा। आवश्यकता हो तो अतिरिक्त कक्षाएँ लेनी होगी। (धारा 24) इसी धारा में यह भी उल्लेख है कि यदि शिक्षक

प्रदत्त कार्य नहीं करता है तो कार्यवाही होगी। लेकिन कार्यवाही से पूर्व शिक्षक/शिक्षिका को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

- पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी होगी जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, और बच्चों में ज्ञान का, और योग्यता का निर्माण हो, बच्चे की मानसिक व शारीरिक क्षमता के विकास के अधिकाधिक अवसर हों, सीखने-सिखाने की प्रक्रियें बच्चों के अनुरूप एवं गतिविधि पर आधारित हों, बच्चों की खोजने की प्रवृत्ति बढ़ाने वाली हों, स्कूली वातावरण भयमुक्त हों ताकि बच्चे स्वयं सोच-विचार कर निर्णय ले सकें। बच्चों के सीखने और समझने का व्यापक एवं सतत् आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही हो। ये सब दायित्व शिक्षक के साथ-साथ शैक्षिक अधिकारी व सरकारी संस्था के भी होंगे। (धारा 29)

शिक्षकों के हित के मुद्दे –

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बात है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक ओर जहाँ शिक्षकों के उत्तरदायित्वों में अभिवृद्धि करता है वहीं दूसरी और कई मुद्दों पर उनका पक्ष लेते हुए हित की बात भी करता है। आइए जानें ऐसे ही कुछ मुद्दों को –

- अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर काम कर सकने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। (धारा-9) इसमें यह भी शामिल है कि धारा 4 के अनुरूप आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिए गए बच्चे को अन्य बच्चों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण या प्रक्रिया सुविधा दी जाएगी।
- कुल स्वीकृत पदों में से 10 प्रतिशत से ज़्यादा पद रिक्त नहीं रखे जा सकते हैं। (धारा 26)
- किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या, जनगणना, आपदा राहत कार्य, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मंडलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं दिया जाएगा।
- शिक्षक की समस्याओं को तय विधि से दूर किया जाएगा। (धारा 24)
- सरकार विद्यालय भवन, शिक्षक व शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। (धारा 8)

शिक्षा का अधिकार कानून तथा प्राथमिक शिक्षा संसार – निकट भविष्य में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा विधेयक के अनेक परिणाम सामने आने वाले हैं। इस परिवर्तित नए शिक्षा संसार की झलक कुछ-कुछ अभी से दिखायी देने लगी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विविध राज्यों के शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजनाओं पर, सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर गहराई से कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र व राज्य स्तर पर शिक्षाविदों की कार्यशालाएँ आयोजित हो रही

हैं। सरकारी संस्थाएँ मिलकर तेज़ी से विचार मंथन कर सतत् और व्यापक मूल्यांकन पर पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। 8वीं बोर्ड खत्म हो चुका है। प्रवेश परीक्षाएँ बंद हो गईं। सतत् एवं समग्र मूल्यांकन व बच्चों के वैयक्तिक अभिलेख संकलन या कार्ययोजना आदि के संकलन/संग्रह पर अनेक कार्ययोजनाएँ अभिप्रस्तावित हैं। विविध एन.जी.ओ. और शैक्षिक संगठन इस पर लगातार काम कर रहे हैं।

यह तय है कि शिक्षक वर्ग को अब बाल केंद्रित, गतिविधि आधारित इस प्रकार की शिक्षण प्रविधि अपनानी है जिससे बच्चे अपने जीवन जगत के अनुभवों से जुड़कर, चिंतन करते हुए अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। वस्तुतः शिक्षा का अधिकार कानून, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 की भावनाओं को पूरा कर रहा है। शिक्षक के समक्ष चुनौती है लेकिन मुश्किल नहीं। कक्षा कक्ष में अब शिक्षक ज्ञान प्रदाता या ज्ञान गुरु न होकर सुविधाप्रदाता एवं मार्गदर्शक की भूमिका में होगा। बच्चों को अधिकाधिक अवसर देने हैं। हम कह सकते हैं कि शिक्षक यदि 30% सक्रिय रहेगा तो बच्चों को 70% सक्रिय रहने के अवसर देने होंगे।

आगत समय में शिक्षा के अधिकार कानून का प्रभाव यह भी होगा कि अभिभावक विद्यालय में आकर शिक्षक से यह जान सकता है कि उसके बच्चे ने कहाँ तक, कितना और क्या सीखा? उसके सीखने की गति क्या है? यदि वह सीख नहीं पा रहा है, उसमें सुधार नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं? बच्चे द्वारा विद्यालय में किए गए कार्य और मूल्यांकन प्रक्रिया को दिखाना/बताना होगा। हमें हमारी समग्र शिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनानी होगी।

उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के समस्त प्रावधान अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं। अभी 'पाइपलाइन' में हैं, प्रक्रियाधीन हैं। इसी विधेयक के विविध उपबंधों में यह अंतर्निहित है कि ये नियम 6 महीने से 5 साल के भीतर सरकार को विशेष प्रक्रियाओं से लागू करने होंगे। लेकिन यह तय है कि चाहे विद्यालय के मान हों या मानक अथवा शिक्षक-विद्यार्थियों के मान, सरकार को 5 साल के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2015 तक समस्त नियमों को पूरी तरह लागू करना ही होगा। बहुत कुछ लागू हो चुका भी है और होने जा रहा है। देश को संपूर्ण साक्षर बनाने के लिए, शैक्षिक प्रोन्नयन के लिए, अधिगम प्रक्रियाओं को बच्चों के अनुरुप करने हेतु बच्चों में अंतर्निहित समस्त क्षमताओं के विकास हेतु, शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह तभी संभव हो सकता है, जब शिक्षक साथी अपने कर्त्तव्य का बखूबी पालन करें।

❑❑❑

2

सीखने-सिखाने के तरीके

वीरा लायल*

कविता अपनी लय और तुकबंदी के कारण बालमन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते समय पाठ्यपुस्तक में दिए गए कहानी, नाटक आदि को कविता में ढाल कर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। कविता बनाते समय यदि बच्चों को भी शामिल कर लिया जाए तो उनका उत्साह देखते ही बनता है। ऐसे ही एक प्रयास के संबंध में इस लेख में बताया गया है।

कक्षा एक और तीन में हिंदी पढ़ाते समय कक्षा एक के पाठ 'हलीम चला चाँद पर' तथा कक्षा तीन के पाठ 'बंदर-बाँट' को पढ़ाते-पढ़ाते मेरे मन में इन पाठों को कविता का रूप देने का विचार आया। यही लगा कि जब बच्चे कहानी और नाटक के साथ-साथ कविता का भी आनंद उठाएँगे तो अपना पाठ उन्हें अधिक सरल, रुचिकर एवं मनोरंजक लगेगा। जिस प्रकार छोटे बच्चे फिल्मी गीत सरलता से कंठस्थ कर लेते हैं, यदि यही प्रयास उनके पठन-पाठन के लिए भी किया जाए, तो जो कुछ वह कक्षा में सीखेंगें उन्हें अच्छी तरह, उनकी रुचि के अनुसार समझ में तो आएगा ही, साथ ही अधिक समय तक उनके मन-मस्तिष्क पर छाया रहेगा। देर से सीखने वाले छात्र जहाँ अपना पाठ मन लगा कर याद कर पाएँगे वहीं प्रतिभाशाली छात्रों की कल्पनाशीलता का विकास होगा और उनके शब्द विन्यास का तुकांत शब्दावली से परिचय होगा। तीसरी कक्षा में जब मैंने नाटक 'बंदर बाँट' की पहली दो पंक्तियों का काव्य रूपांतरण किया तो कुछ छात्र मेरे इस प्रयास में भागीदार हुए और कुछ तुकबंदियाँ करने लगे। उनके ऐसा करने पर मेरा उत्साह बढ़ा और देखते-ही-देखते पाठ कविता रूप में परिवर्तित होने लगी।

कविता पूरी होने के बाद सर्वप्रथम बच्चों को सुनायी और श्यामपट्ट पर लिखी, जिसे कई छात्रों ने चार-पाँच बार के वाचन के बाद कंठस्थ कर लिया। 'बंदर-बाँट' नाटक का काव्य रूपांतरण इस प्रकार है–

* *प्राथमिक शिक्षिका,* केंद्रीय विद्यालय -2, जे.एल.ए., बरेली।

बंदर-बाँट

कहीं मेज़ पर रखी थी
एक ताजी-सी रोटी
जिस पर झगड़ी बिल्ली दोनों,
एक पतली, एक मोटी।

झगड़ा देख वहाँ पर आए
झटपट बंदरमामा
लगे डाँटने दोनों को
बोले–यह क्या है ड्रामा?

बोली दोनों बंदरमामा
न्याय हमें दिलवा दो
हिस्सा मिले बराबर हमको
ऐसा कर दिखला दो।

उस रोटी के दो टुकड़े
कर मामा जी मुस्काए
बनकर न्यायधीश उन्होंने
अपने हाथ दिखाए।

बड़े भाग को छोटा करने
का था सरल उपाय,
जो भी हिस्सा बड़ा लगे
उसको झट गप कर जाए।

धीरे-धीरे करके न्यायाधीश
ने न्याय दिखाया
पूरी रोटी हज़म करी
बिल्ली को सबक सिखाया।

आपस में न झगड़ें हम
तब यह समझ में आया
उन दोनों के झगड़े में,
बंदर ने लाभ उठाया।

इस प्रकार से नाटक को पढ़ाने के बाद पुनः उसकी काव्य रूप में कक्षा में प्रस्तुति के दौरान मैंने देखा कि बच्चे बहुत आनंद ले रहे हैं। सब बच्चे बहुत उल्लास के साथ शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। बच्चों ने इस पाठ के बाद करवायी गयी गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। कक्षा तीन के बच्चों के चेहरों पर छायी खुशी तथा उनके जोश और उत्साह से मुझे लगा कि क्यों न पहली कक्षा के बच्चों को भी कोई कहानी काव्य रूप में परिणत कर सुनायी जाए।

ऐसा ही प्रयास कक्षा एक में भी किया गया। बालमन तो वैसे भी संगीत और लय से बँधा होता है। कक्षा तीन में इस प्रयास की सफलता के साथ मेरा मनोबल बढ़ चुका था। पहली कक्षा के लिए *रिमझिम-1* की कहानी चुनी– हलीम चला चाँद पर। कक्षा एक में पाठ को कविता का रूप देने में अधिक कठिनाई नहीं आयी। नन्हे-नन्हे बच्चों की प्रसन्नता और उत्साह ने मेरा काम आसान कर दिया। अंततः कविता पूरी हुई और नन्हे बच्चों ने गा-गाकर याद भी कर ली।

हलीम चला चाँद पर

चला हलीम चाँद की ओर
सोचा राह में होगी भोर।

कैसे जाऊँ? थी चिंता भारी
क्यों न रॉकेट की करूँ सवारी?

जा पहुँचा वह झट कारखाने
चाँद पे जाकर नाम कमाने

रॉकेट पहुँचा ज्यों-ज्यों ऊपर
लगा काँपने डर से थर-थर।

चारों ओर अँधेरा छाया,
रास्ता उसको समझ न आया।

आखिर जा पहुँचा वो चाँद पर
वहाँ न कोई पेड़, न था जानवर।

सोचा यह कोई जगह है भाई,
पहले यह क्यों समझ न आई?

झटपट वह घर वापस आया
धरा है सुंदर समझ में आया।

मेरे इस प्रयास में मेरे साथ छात्रों की कल्पनाशीलता तो बढ़ी ही, साथ-ही उनकी शब्दावली, तुकबंदी की कला का भी विकास हुआ। जैसे रॉकेट पर बैठकर चंदामामा से मिलने का सपना। बिल्ली व बंदरों को मानवरूप में बातें करते देखना और सुनना आदि। साथ ही न्यायाधीश, धरा, शोर आदि नवीन शब्दों से परिचय भी हुआ।

बालमन का तादात्म्य धुन, लय, और ताल से जुड़ा रहता है। कविता उनके मन को छूने का सबसे सशक्त माध्यम है। अपनी कलम से उकेरे शब्दों को पद्य रूप देने के रचनात्मक प्रयास के पीछे नन्हे चेहरों के रूप में मिली प्रेरणा है।

❑❑❑

3

शिक्षा में सृजनात्मकता एवं सौंदर्यबोध

विश्व विजया सिंह*

सृजनात्मकता नवीनता को जन्म देती है और नवीनता प्रत्येक छात्र को अपनी तरफ़ आकर्षित करती है। ज़रूरत है तो सिर्फ़ बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की। प्रत्येक शिक्षक कुशल अध्यापन कला से नवीनता को बढ़ावा दे सकते हैं। प्रस्तुत आलेख ऐसे ही कुछ कक्षागत प्रयासों पर आधारित है जो बच्चों में सृजनात्मकता को संप्रेषित कर रहा है।

सत्र आरंभ हुआ। प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 3, 4, 5) में नयी-नयी कक्षाओं का गठन हुआ था। ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चों के पुनरागमन से स्कूल में एक चहल-पहल नज़र आ रही थी। ऐसे में नए प्रवेशार्थी बच्चे नयी-नयी यूनिफ़ार्म पहने, अपने बस्ते लिए अलग-अलग से कुछ घबराए से चल रहे थे। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी शहर के बाहर से आए थे, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण परिवेश से थे, सारे माहौल को अजनबी निगाहों से भाँपने की कोशिश कर रहे थे। इन बच्चों का, जितनी जल्दी हो यहाँ के वातावरण में समायोजन हो जाए, उतना ही अच्छा होगा। दूसरे बच्चों से उनकी बातचीत हो, वे मिलजुल कर रहें, कुछ पूछना चाहें तो भी आपस में पूछ सकें, यह सोचकर अगले दिन के लिए हमने एक गतिविधि सोची।

स्कूल के पास में ही स्थित झील के किनारे से काली मिट्टी मँगवाई गयी। स्कूल परिसर में विद्यमान बड़े-से छायादार इमली के वृक्ष के नीचे 1 मीटर × 1 मीटर का एक गड्ढा खोदा गया और उसमें वह मिट्टी डालकर 3-4 बाल्टी पानी डाल दिया गया।

अब अगले दिन हर कक्षा के बच्चों को एक बार उस स्थान पर ले जाया गया जहाँ शिक्षिका ने बच्चों से कहा, ''इस गीली मिट्टी से तुम जो कुछ बनाना चाहो, बना सकते हो।'' कुछ पुराने बच्चों ने पहल की और मिट्टी हाथ में लेकर कुछ-कुछ आकृतियाँ बनाने लगे। उन्हें देखकर नए बच्चे भी आगे बढ़े और कुछ ही देर में वे सबके साथ हिल-मिलकर सृजन में जुट गए। किसी ने पशु, किसी ने गाड़ी या बर्तन बनाया तो किसी बच्चे ने क्रिकेट का बैट-बॉल

* 17, टेक्नोक्रेट सोसायटी, बेदला रोड, पो.आ. बड़गाँव, उदयपुर (राजस्थान) 313011

तैयार किया। उनके चेहरों पर आए आत्मसंतोष और आनंद के भाव अतुलनीय थे। अब नए और पुराने बच्चों में कोई अंतर नहीं दिख रहा था।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005 में यह स्वीकार किया गया है कि ''कला के विविध माध्यम और स्वरुप बच्चों को खेल–खेल में तथा विषयबद्ध रूप में विकसित होने में मदद करते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति के कई रास्ते सिखाते हैं। संगीत, नृत्य और नाटक विद्यार्थियों के आत्मबोध, उनके ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर ये सभी कलाएँ बेहद महत्वपूर्ण हैं।''

पूर्व–प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर तक बच्चों को संगीत सीखने का पर्याप्त समय मिलना चाहिए जिससे वे 10–20 गाने सीख जाएँ और कभी–भी अकेले में या समूह में गा सकें। इस स्तर पर गानों का चयन भी महत्त्वपूर्ण है। गाने के भाव वे समझ सकें, भाषा सरल हो, प्रत्येक शब्दों से वे भली–भाँति परिचित हों और विषय उनके आस–पास के पर्यावरण से संबंधित हों, साथ ही रोचक हों। मुझे याद है एक गाना था 'बंदर मामा की शादी में पहुँचे सभी बराती' और इसमें बरातियों में विभिन्न पशु–पक्षियों का जिक्र आता था। बच्चे इसको समूह में गाकर अत्यधिक आनंदित होते थे।

इसी प्रकार नृत्य में जब सभी बच्चे मिलकर विभिन्न भाव–भंगिमाओं के साथ अंग–संचालन करते हैं तो सभी को रुचिकर लगता है। छोटी उम्र में बच्चों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। अक्सर देखा गया है कि बड़े होने पर उनमें शर्म या संकोच का भाव विकसित हो जाता है।

हमारे विद्यालय में एक अच्छा नियम है, नर्सरी स्कूल, जिसमें पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं के अतिरिक्त कक्षा 1 व 2 भी शामिल हैं के वार्षिकोत्सव में सभी कक्षाओं के सभी बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मंच पर आने का अवसर दिया जाता है। इसलिए कई बार कुछ गतिविधियों का स्तर उतना अच्छा नहीं हो पाता, जितना कुछ चयनित बच्चों द्वारा प्रदर्शन से होता है। हम लोगों का यह मानना है कि इस स्तर पर सभी बच्चों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर अवश्य मिलने चाहिए। कक्षा 3, 4, 5 के वार्षिकोत्सव, दल, जलसों या प्रति शनिवार आयोजित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को इस प्रकार के भरपूर अवसर मिलते हैं।

यह भी कोशिश रहती है कि बच्चे विभिन्न भाषाओं के गीत सीखें। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों के नृत्य करने से बच्चों का देश की विविध कलात्मक परंपराओं एवं उनकी संस्कृतियों से परिचय हो जाता है। किसी वर्ष बच्चे पंजाब का गिद्धा या भांगड़ा तो किसी वर्ष महाराष्ट्र का लावणी, गुजरात का गरबा या कोई पहाड़ी नृत्य करते दिखते हैं। इन नृत्यों हेतु प्रयुक्त विशिष्ट वेशभूषा और गीतों से बच्चे भली–भाँति परिचित हो जाते हैं।

नाटक में बहुत बच्चों की भागीदारी नहीं हो पाती किंतु उसके अभ्यास (रिहर्सल) देख–देखकर अधिकतर बच्चों को उसके संवाद याद हो जाते हैं। फिर कक्षा स्तर पर कुछ पाठों के नाटकीकरण से काफ़ी बच्चों को इस तरह के अवसर मिल जाते हैं।

बहुत छोटे बच्चे जो पेंसिल पकड़ना भी नहीं जानते अथवा जिनका अभी औपचारिक लेखन भी शुरू नहीं हुआ उन्हें भी कला के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। बच्चों के लिए फ़िंगर पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग बहुत कारगर है। उँगली को रंग में डूबोकर कागज़ पर आड़ी-तिरछी लकीरें खींचना बच्चों को रुचिकर लगता है और वे उन चित्रों को अपने तरीके से व्याख्यायित करते हैं या उनके अर्थ स्पष्ट करते हैं।

इसी तरह 'रबिंग्स' भी एक रोचक गतिविधि है। कागज़ को किसी खुरदरी चीज़ पर रख कर बच्चे वैक्स कलर या क्रेयान से रगड़ते हैं और जो डिजाइनें बनती हैं, उन्हें देखकर बच्चे स्वयं आनंद की अनुभूति करते हैं। एक-दूसरे के चित्र देखने से उन्हें नए विचार भी मिलते हैं। बच्चे ऐसी खुरदरी चीजें जैसे खिड़की की जाली, कुर्सी की बेंत आदि ढूँढ़-ढूँढ़ कर उन पर रबिंग्स बना कर कुछ नया करने या उपलब्धि के भाव से खुश होते हैं।

रंगीन कागज़ों को मनचाही आकृतियों में काटना, चिपकाना या उन्हें मोड़कर अलग-अलग चीज़ें तथा नाव, हवाई जहाज, बंदूक, गेंद आदि बनाना अपने-आप में सुखद अनुभव है। बच्चा इन गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक कार्यों से जुड़ता है और उसे स्वयं कुछ कर पाने का अहसास भी होता है।

कठपुतली भी कला का एक सशक्त माध्यम है। कठपुतली का धागे से संचालन बच्चों के लिए कुछ कठिन होता है। छोटी आयु में दस्ताना पुतली का प्रयोग उत्तम है। बच्चे संवाद बोलकर और कठपुतली को हिला-हिलाकर आनंदित होते हैं और देखने वाले भी भरपूर आनंद लेते हैं। पंचतंत्र की कहानियों को, जिसके पात्र आमतौर पर पशु-पक्षी होते हैं, कठपुतली के माध्यम से करना बच्चों के लिए आनंददायी अनुभव होता है।

कोलॉज में अलग-अलग तरह की चीज़ों को चिपकाकर कोई कलाकृति का रूप दिया जाता है। छोटे बच्चों के लिए यह भी बड़ा रोचक होता है। तरह-तरह के बीज, सूखे हुए फूल, पत्ते या अन्य अनावश्यक या निरर्थक वस्तुओं का संकलन स्वयं कर बच्चे इनको विभिन्न आकृतियों में चिपकाकर कोई कलाकृति का रूप देते हैं। इसमें बच्चों की मौलिकता एवं कल्पनाशीलता साफ़ नज़र आती है।

प्रकृति से बच्चों का सामंजस्य स्थापित हो, वे उगते-डूबते हुए सूरज, टिमटिमाते हुए तारों, घटते-बढ़ते चाँद, खिलते हुए फूलों, बरसती हुई बूँदों या बादलों, तितलियों या चिड़ियों को देखकर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, चिड़ियों के कलरव, बहते पानी की झर-झर से आनंद प्राप्त कर सकें। इस प्रकार समय-समय पर चर्चा और प्रकृति का सामीप्य ज़रूरी है, तभी उनमें सौंदर्यबोध का विकास होगा।

चित्रकला में बच्चों को किसी विषय से बाँधकर यथा-शिक्षक ने बोर्ड पर सेब, अमरूद, अंगूर या ऐसा ही कुछ बनाया और सभी बच्चों को अपनी ड्राइंग कॉपी में वही बनाना है, ऐसा न करके बच्चों को स्वेच्छा से चित्रांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो बड़े अच्छे-अच्छे चित्र वे बना लेते हैं। यह उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता के विकास में सहायक होता

है, साथ ही उनके व्यक्तित्व को पहचानने में भी सहायक होता है। प्रकृति प्रेमी बच्चे फूल, पेड़, पानी, सूरज, चाँद, तारे, नदी, पहाड़ आदि बनाते हैं। कुछ बच्चे मानव या पशु आकृतियाँ अधिक बनाते हैं। कुछ बच्चे बस या कार बनाना पसंद करते हैं।

जहाँ बच्चा चित्र बनाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनता है, अपनी मर्जी के रंग भरता है, वहीं उसकी सृजनात्मकता को पंख लग जाते हैं। रंगों की पसंद भी हरेक की अलग-अलग होती है। यह छूट देने पर ही उनकी व्यक्तिगत पसंद और मौलिकता नज़र आती है।

शिक्षकों की सृजनात्मकता भी शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होती है। नए-नए शिक्षण उपकरण बनाना, अभ्यास के लिए नयी-नयी विधियाँ सोचना, नए-नए तरीके ईज़ाद करना शिक्षकों के सूझ-बूझ एवं सृजनात्मकता को दर्शाता है।

किसी सुंदर दृश्य, चित्र या कलाकृति को देखकर प्रशंसा में निकले शब्दों का बहुत दूर तक असर होता है। इसलिए बच्चों को सुंदर चीज़ों को देखकर सौंदर्यानुभूति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यालय में ऐसा माहौल दिया जाना चाहिए कि बच्चे अपने विचार और भावनाओं को स्वेच्छापूर्वक व्यक्त कर सकें।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार ''कला और विरासत शिल्पों को शिक्षा से जोड़ने के संसाधन हर स्कूल में उपलब्ध होने चाहिए। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पाठ्यचर्या में कला गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय हो। नाटक, नृत्य, मूर्तिकला संबंधी कक्षाओं के लिए घंटे-डेढ़ घंटे का समय चाहिए। ज़ोर इस बात पर नहीं हो कि बच्चे वयस्कों के मानकों के हिसाब से कला सीखें या पूर्ण कला का विकास हो, बल्कि कला-शिक्षा के माध्यम से बच्चे को अपने-आप विकसित होने का मौका दिया जाए, उन पर अधिक दबाव न डाला जाए। कुछ सालों में शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी अपने समर्पण व मेहनत से स्वतंत्र कला परियोजनाएँ प्रस्तुत कर पाएँगे जिसके साथ उनमें सौंदर्यबोध, गुणवत्ता और श्रेष्ठता का भी विकास होगा।''

यह सच है कि सभी बच्चों में सृजनात्मक क्षमता होती है यद्यपि उसकी श्रेणी में अंतर हो सकता है। यह सच्ची शिक्षा का कार्य है कि बच्चों की सृजनात्मक क्षमताओं के अधिकतम विकास के लिए उपयुक्त माहौल उपलब्ध करवाएँ। बच्चों को जितना ज्ञान और अनुभव दिया जाएगा अपने सृजनात्मक प्रयासों के लिए उन्हें उतनी ही सुदृढ़ नींव मिलेगी। एक प्रेरक और उद्दीपक वातावरण बच्चे की सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है।

सबसे अहम् बात है कि बच्चों को इन प्रवृत्तियों में मज़ा आता है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे गाना गाकर, नृत्य या अभिनय करके अपनी बात को बोलकर या अपने विचारों को अभिव्यक्त करके, अपने हाथों से किसी वस्तु का निर्माण करके या कोई सुंदर रचना करके आनंद प्राप्त न होता हो। ज़रूरत है विद्यालयों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने की और

अभिव्यक्ति के विविध रूपों से उन्हें परिचित कराने की। इसके साथ ही सौंदर्यानुभूति भी महत्वपूर्ण है, जिसके विकास हेतु सचेतन प्रयास (Conscious effort) अपेक्षित है।

बूढ़े बाज़ की उड़ान

मैंने कहीं पढ़ा है कि बाज़ लगभग 70 वर्ष जीता है, पर अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते-आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। उस अवस्था में उसके शरीर के तीन प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। उसके पंजे लंबे व लचीले हो जाते हैं और शिकार पर पकड़ बनाने में अक्षम होने लगते हैं। उसकी चोंच आगे की ओर मुड़ जाती है, जिससे भोजन निकालने में व्यवधान उत्पन्न करने लगती है। पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते, यानी उड़ानें सीमित कर देते हैं। उसके पास तीन ही विकल्प बचते हैं, या तो वह देह त्याग दे, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह त्यक्त भोजन पर निर्वाह करे या स्वयं को पुनर्स्थापित करे।

जहाँ पहले दो विकल्प सरल हैं, तीसरा अत्यंत पीड़ादायी और लंबा। बाज़ पीड़ा चुनता और स्वयं को पुन:स्थापित करता है। वह किसी ऊँचे पहाड़ पर अपना घोंसला बनाता है और तब प्रारंभ करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार-मारकर तोड़ देता है और प्रतीक्षा करता है अपनी चोंच के पुन: उग आने की। उसके बाद वह अपने पंजे उसी प्रकार तोड़ता है। नयी चोंच और नए पंजे आने के बाद वह अपने भारी पंखों को नोच डालता है और प्रतीक्षा करता पंखों के पुन: उग आने की 150 दिनों की पीड़ा और प्रतीक्षा के बाद उसे मिलती है वही भव्य और ऊँची उड़ान। इस पुन:स्थापना के बाद वह 30 साल और जीता है, गरिमा के साथ। अगर यह हकीकत नहीं है, तब भी प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाने बैठी है।

**दैनिक हिंदुस्तान, नयी दिल्ली (दिनांक 26 दिसंबर 2011) से साभार।*

❑❑❑

4

पूर्व-प्राथमिक केंद्र और अभिभावक

रीतू चंद्रा *

पूर्व-प्राथमिक केंद्र के प्रत्येक अभिभावक की यह अपेक्षा रहती है कि उसका बच्चा केंद्र में बहुत कुछ सीखे। लेकिन कभी-कभी अनजाने में अभिभावक पूर्व-प्राथमिक केंद्र की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे में केंद्र का संचालन कठिन हो जाता है और बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। परंतु यदि अभिभावकों को भी केंद्र की गतिविधियों में शामिल कर लिया जाए तो इनके योगदान से पूर्व-प्राथमिक केंद्रों के कार्यक्रमों को और भी सरल, रोचक और उपयोगी बनाया जा सकता है। यह लेख इसी दिशा में एक छोटा-सा प्रयास है।

पूर्व-प्राथमिक केंद्रों के संचालन में शिक्षिकाओं के सामने प्रतिदिन छोटी-मोटी समस्याएँ आ ही जाती हैं जिससे केंद्र की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी ही एक समस्या अभिभावकों से संबंधित है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के अभिभावक, चाहें वे माता-पिता, भाई-बहन या कोई अन्य, समय समाप्ति से पूर्व ही पूर्व-प्राथमिक केंद्र में आकर अपने बच्चों की छुट्टी की प्रतीक्षा में बैठ जाते हैं। इससे बच्चों का ध्यान उस समय चल रही गतिविधि से हट जाता है जिससे केंद्र के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने में मुश्किलें आ जाती हैं। लेकिन यदि इन अभिभावकों को केंद्र की गतिविधियों में शामिल कर लिया जाए तो केंद्र के कार्यक्रम पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, साथ ही इनके सहयोग से गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। नीचे कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से अभिभावकों को केंद्र की गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है–

अभिभावकों को बच्चों के साथ ही उनकी गतिविधियों में शामिल करना ताकि वे घर पर भी बच्चों को कुछ सिखा सकें। जैसे अभिभावकों की सहायता से

- बच्चों को कविता व बालगीत कराना
- कहानी सुनना, सुनाना और बनाना
- अभिनय कराना

* *सहायक आचार्य,* प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली -110016

- कठपुतली का खेल कराना
- पहेलियाँ बनाना और बुझाना
- कला की क्रियाएँ करवाना जैसे– चित्र बनाना, कोलॉज कार्य, पत्ती/अँगूठे/रूई/धागे आदि से छपाई, कागज़ चिपकवाना आदि।
- विज्ञान की गतिविधियाँ जैसे– अंकुरण, हल्का व भारी, डूबना व तैरना, वाष्पोत्सर्जन, धूप-छाँव का ज्ञान आदि।

- अभिभावकों को बच्चों के लिए गतिविधियों से संबंधित सामग्री बनाने में शामिल करना। जैसे- खिलौने, कठपुतली, कहानी चार्ट, गुड़िया, गुड़िया का घर व मुखौटे आदि।
- अभिभावकों से बच्चों के लिए केंद्र में मिलने वाली खान-पान की वस्तुओं से बनायी जाने वाली विभिन्न खाद्य-सामग्री बनवाना जैसे– हलवा, खिचड़ी, खीर, जूस, नींबू-पानी आदि। और इन बनी हुई खाद्य-सामग्री को बच्चों में बँटवाना।
- भ्रमण आस-पास के परिवेश की खोजबीन और निरीक्षण का एक शानदार माध्यम है। यह बच्चों में जिज्ञासा, खोज तथा प्रयोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। पेड़-पौधे, रंग-बिरंगे कंकड़, इधर-उधर घूमते पशु, रंग-बिरंगे पक्षी, घोंसले, घर, दुकान, फूल, तितलियाँ आदि बहुत-सी चीज़ें हमारे वातावरण में हैं, जिनका अवलोकन बच्चे भ्रमण के दौरान कर सकते हैं। यह अवलोकन न केवल बच्चों का कौतूहल बढ़ाता है बल्कि वे तरह-तरह के प्रश्न पूछते हैं और ज़वाब पाकर आनंदित भी होते हैं। ऐसे में यदि अभिभावक भी बच्चों के साथ हों तो बच्चे और भी उत्साहित हो जाते हैं।
- महीने में एक-दो बार अभिभावकों के साथ बैठक करने का प्रयास करना, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है–

पूर्व-प्राथमिक शिक्षा क्या? क्यों? और कैसे?

शिक्षिका द्वारा अभिभावकों को पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताना कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है–

- 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों का समुचित शारीरिक विकास करना।
- बच्चों में स्थायी बौद्धिक जिज्ञासा जागृत करना।
- बच्चों में अपने विचारों की शुद्धता, स्पष्टता और तारतम्यता के साथ अभिव्यक्त करने के कौशल का विकास करना।
- बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना।

- बच्चों को पर्यावरणीय सुंदरता के प्रति सजग एवं संवेदनशील बनाना।
- बच्चों में स्वस्थ आदतों का विकास करना।
- बच्चों में दूसरों के प्रति स्नेह, सहयोग, समायोजन एवं शिष्टाचार की भावना का विकास करना।
- बच्चों में शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करना।
- शिक्षिका द्वारा अभिभावकों को केंद्र में संचालित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों की भी जानकारी दी जा सकती है।

खेल-खेल में शिक्षा –

अभिभावकों को बताना कि पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में बच्चे बहुत छोटे होते हैं जो अभी पढ़ने-लिखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। उनकी यह उम्र तो बस पढ़ने-लिखने की तैयारी की है वो भी अनौपचारिक रूप से और इसका सबसे अच्छा माध्यम खेल है, इसलिए उन्हें केंद्र में औपचारिक नहीं बल्कि खेल द्वारा ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे,

- बच्चों की उंगलियाँ लिखने के लिए तैयार हो जाती हैं।

- बच्चे अच्छी और सही भाषा बोलना सीखते हैं।
- बच्चों में दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने और समझने की कुशलता बढ़ती है।
- बच्चे आगे की कक्षा में जाने के लिए तैयार होते हैं।
- बच्चे निर्देशों के अनुसार काम करना सीखते हैं।
- बच्चे विभिन्न कार्यों में सहयोग देने लगते हैं।
- बच्चे अपनी बारी का इंतज़ार करना सीखते हैं।
- बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना और आवश्यकतानुसार उन पर नियंत्रण रखना सीखते हैं।
- बच्चों में स्व-अनुशासन, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का विकास होता है।

अभिभावकों का केंद्र के कार्यक्रम में सहयोग–

अभिभावकों को बताना कि यदि वे चाहें तो केंद्र की गतिविधियों में भी निम्न प्रकार से सहयोग दे सकते हैं, जैसे–

- प्रतिदिन अभिभावकों का केंद्र में आकर केंद्र की गतिविधियों में हाथ बँटाना।
- पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाने में सहयोग करना।
- सस्ती और अनुपयोगी वस्तुओं को जमा करना जिनसे केंद्र के लिए खेल सामग्री बनायी जा सके।

- समुदाय के लिए सभा/बैठक आयोजित करने में सहयोग करना।
- बच्चों को साफ़-सुथरा रखना।
- बच्चों को सही समय पर केंद्र भेजना।
- अभिभावकों द्वारा बाकी माता-पिता को केंद्र के महत्त्व के बारे में बताना तथा बच्चों को केंद्र भेजने के लिए प्रेरित करना।

माता-पिता बच्चों के विकास के लिए घर पर क्या-क्या कर सकते हैं– शिक्षिका द्वारा अभिभावकों को बताना कि वे स्वयं भी घर पर ही अपने बच्चों के विकास में कई प्रकार से सहयोग दे सकते हैं, जैसे–

- बच्चों के साथ बातचीत करके।
- उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनकर।
- कहानी सुनाकर तथा लोरी और गीत गाकर।
- बच्चों के साथ खिलौने बनाकर उनके साथ खेलकर।
- बच्चों से प्यार का व्यवहार करके।
- केंद्र की गतिविधियों को घर पर बच्चों के साथ दोहराकर।
- बच्चों को बाहर (चिड़ियाघर, संग्रहालय, बागीचा, पोस्ट-ऑफ़िस आदि) घुमाने ले जाकर साथ ही आस-पड़ोस की जानकारी देकर आदि।

बच्चों के विकास से संबंधित मसलों पर चर्चा –

शिक्षिका अभिभावकों के साथ बच्चों के विकास से संबंधित बातों पर चर्चा करे और अपने अनुभव के आधार पर उन्हें सुझाव दे जैसे–

- बच्चों की झिझक कैसे दूर की जाए।
- बहुत चंचल और शरारती बच्चों को कैसे संभाला जाएँ।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कैसे की जाए।
- बच्चों में सुरक्षा की भावना एवं आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए।
- बच्चों को अच्छी आदतें सीखने में कैसे मदद की जाए।
- बच्चों को साफ़-सफ़ाई और स्वच्छता के लिए कैसे प्रेरित किया जाए।

अनुपयोगी वस्तुओं से खेल सामग्री कैसे बनायी जाएँ और यदि खेल सामग्री न हो तो गतिविधियाँ कैसे करायी जाएँ आदि महत्वपूर्ण विषयों पर भी अभिभावकों को सलाह दी जा सकती है।

शिक्षिका अभिभावकों से केंद्र के संचालन में आने वाली समस्याओं पर भी बातचीत करते हुए उन्हें इनका समाधान निकालने के लिए भी प्रेरित कर सकती है।

लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अभिभावक न तो पूर्व-प्राथमिक केंद्रों में आते हैं और न ही अपने बच्चों को भेजने में रुचि लेते हैं। अभिभावकों में पूर्व-प्राथमिक केंद्रों के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए,

- पूर्व-प्राथमिक शिक्षिका पूर्व-प्राथमिक केंद्र में छोटे-छोटे कार्यक्रम या सभाओं का आयोजन अभिभावकों के लिए कर सकती है। यदि संभव हो तो महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों जैसे– वस्त्र विज्ञान विभाग, खाद्य एवं पोषण विभाग, पारिवारिक संसाधन विभाग एवं प्रसार शिक्षा विभाग तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थाओं के विभिन्न विभागों जैसें– परिवार सेवा क्लीनिक, परिवार सेवा संस्थान आदि के सम्पर्क में रहे और इनसे संबंधित लोगों अथवा डॉक्टरों व मनोवैज्ञानिकों को पूर्व-प्राथमिक केंद्र में बुलाए। ये सभी लोग बिना किसी धनराशि के स्वेच्छा से जनहित में कार्य करते हैं। इनके द्वारा अभिभावकों को उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। जैसे– परिवार कल्याण, धन कमाना, छोटे-मोटे रोजगार की जानकारी देना, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, बच्चों का विकास शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि।
- इसके अलावा शिक्षिका स्वयं भी इन विषयों से संबंधित पोस्टर, चार्ट, फोल्डर लाकर केंद्र में लगा सकती है और अभिभावकों में बाँट सकती है।
- बच्चों के विकास और गतिविधियों से संबंधित फोल्डर, किताबें, चार्ट, पोस्टर तथा बच्चों द्वारा की गयी गतिविधियों के नमूने भी अभिभावकों को दिखाए ताकि उन्हें केंद्र में संचालित गतिविधियों की जानकारी मिल सके।

शिक्षिका के इन प्रयासों से निश्चित रूप से अभिभावक सक्रिय रूप में पूर्व-प्राथमिक केंद्र की गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। फलस्वरूप केंद्र में उनकी रूचि जागृत होगी, जिसका एक सुखद परिणाम यह होगा कि वे अपने बच्चों को केंद्र में ज़रूर भेजेंगे और यही हमारा उद्देश्य भी है।

❑❑❑

5

जनसंख्या शिक्षा के संदर्भ में लैंगिक अनुपात में बदलाव एवं उसके अनुप्रयोग

रमेश कुमार *

विकासशील देश की समस्याओं की जड़ों में देखें तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या वृद्धि दर रहा है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण से उत्पन्न समस्याओं से जूझ रहे प्रत्येक देश के लिए यह आवश्यक है कि वह लोगों को जनसंख्या शिक्षा से अवगत कराए। प्रस्तुत लेख में भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहे बदलावों एवं उसके दुष्परिणामों की विवेचना करते हुए शिक्षा के आरंभिक स्तर से ही जनसंख्या शिक्षा के प्रति चेतना जाग्रत करने पर बल दिया गया है।

भारत की जनसंख्या पर विचार किया जाए तो निश्चित तौर पर इसका एक महत्वपूर्ण पहलू जो सामने आता है, वह है– लैंगिक विषमता। इस पहलू पर इसलिए भी विचार करना आवश्यक है क्योंकि यह समृद्ध भारत के हित में नहीं है। 2001 की जनगणना पर गौर करें तो हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थिति सुखद नहीं रही है। यह एक सामाजिक विषमता की ओर इशारा करता है। यदि भारत में लोगों को इस ओर जागरुक नहीं किया गया तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती है। अत: जनजागरण को जनसंख्या शिक्षा की अवधारणा से अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है।

आर. सी. शर्मा के अनुसार ''जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र जनसंख्या तथा उनके पर्यावरण के मध्य की अंतर्क्रिया, जनसंख्या की विशेषताओं, जनसंख्या परिवर्तन के कारणों व नियंत्रण विधियों एवं जनसंख्या वृद्धि का स्थानीय, राष्ट्रीय तथा सामूहिक स्तर की जैविकीय व सामाजिक प्रणाली पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है।

डी. गोपाल राव के अनुसार, "जनसंख्या शिक्षा वह शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें जनसंख्या विषय के अध्ययन को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि छात्र–छात्राएँ जनसंख्या वृद्धि

*सहायक आचार्य, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली –110016

से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के विषय में तार्किक निर्णय ले सकें।"

जनसंख्या शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत् हैं–

(1) तीव्र जनसंख्या वृद्धि परिस्थिति संतुलन (Ecological Balance) को छिन्न-भिन्न कर रही है।

(2) जनसंख्या सीमित (Population Reduction) करने का सर्वाधिक सबल तथा उपयुक्त माध्यम शिक्षा है।

(3) शिक्षा के माध्यम से तीव्र जनसंख्या वृद्धि के प्रति जनसाधारण में सामाजिक चेतना (Social Awareness) उत्पन्न की जा सकती है।

(4) जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है। यह यौन शिक्षा (Sex Education) अथवा परिवार नियोजन (Family Planning) का कार्यक्रम नहीं है।

(5) जनसंख्या शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है जो शिक्षा के सभी स्तरों पर तथा सभी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों में दी जानी चाहिए।

(6) जनसंख्या शिक्षा मानव जनसंख्या का अध्ययन है जो मुख्यत: जनसंख्या वृद्धि के कुपरिणामों को प्रस्तुत करता है। 1952 ई. में भारत विश्व के प्रथम देशों में था जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम launch (प्रस्तुत) किया गया जिसने परिवार नियोजन पर ज़ोर देकर जन्मदर में नियंत्रण करने की पहल की। इसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम कई बदलावों से गुजरा यथा जच्चा एवं बच्चा स्वास्थ्य (MCH) और (CSSM) RCH (Reproductive and Child Health)–1997 और 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) की घोषणा की।

पिछले कुछ दशकों से भारत के संदर्भ में देखा जाए तो स्थितियाँ थोड़ी अनुकूल रही हैं। भारत में एक सामान्य अवधारणा रही कि भारत जनसंख्या विस्फोट की तरफ अग्रसित है। परंतु वास्तविकता थोड़ी अलग है। इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है।

दशक	वृद्धिदर में गिरावट
1971–81	–24.6%
1881–91	–23.9%
1991–2001	–21.3%

जनसंख्या वृद्धिदर में गिरावट एक शुभ संकेत है। सरकार द्वारा कि गयी विभिन्न प्रयासों के द्वारा ही यह संभव हो पाया है। जनजागरण में भी पहले की अपेक्षा जनसंख्या को लेकर ज़्यादा जागरुकता आयी है।

जनसंख्या के दूसरे पहलू स्त्री एवं पुरुषों के लैंगिक अनुपात पर विचार करें।

लैंगिक अनुपात को वस्तुत: 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से आँका जाता है। यह एक पैमाना है जिसके आधार पर समाज में लैंगिक समानता को मापा जाता है।

सारणी-1 लैंगिक अनुपात भारत के संदर्भ में (1901-2001)

वर्ष	लैंगिक अनुपात (1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)	दशक में बदलाव
1901	972	
1911	964	-8
1921	955	-11
1931	950	-5
1941	945	-5
1951	946	+1
1961	941	-5
1971	930	-11
1981	934	-4
1991	927	-7
2001	933	+6

स्रोत- *भारत की जनगणना, 2001*

सारणी-1 पर गौर किया जाए तो यह स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही देश का लैंगिक अनुपात स्त्रियों के अनुकूल नहीं रहा है। दशकों में होने वाले परिवर्तनों पर निगाह डालें तो यह -8, -11, -5 और -5, 1911, 1921, 1931 और 1941 में रही है। सिर्फ 1951 में ही इसमें +1 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह स्थिति अन्य विकसित देशों की तुलना में ठीक नहीं हैं।

सारणी-2 राज्यवार लैंगिक अनुपात की सूची

क्र.सं.	राज्य	जनगणना वर्ष					
		1951	1961	1971	1981	1991	2001
1.	जम्मू कश्मीर	873	878	878	892	896	900
2.	हिमाचल प्रदेश	912	938	958	973	976	970
3.	पंजाब	844	854	865	879	882	874
4.	चंडीगढ़	781	652	749	769	790	773
5.	उत्तराखंड	940	947	940	936	936	964
6.	हरियाणा	871	868	867	870	865	861
7.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	768	785	801	808	827	821
8.	राजस्थान	921	908	911	919	910	922
9.	उत्तर प्रदेश	908	907	876	882	876	898
10.	बिहार	1,000	1,005	957	948	907	921
11.	सिक्किम	907	904	863	835	878	875

क्र.सं.	राज्य	जनगणना वर्ष					
		1951	1961	1971	1981	1991	2001
12.	अरुणाचल प्रदेश	NA	894	861	862	859	901
13.	नागालैंड	999	933	871	863	886	909
14.	मणिपुर	1,036	1,015	980	971	958	978
15.	मिज़ोरम	1,041	1,009	946	919	921	938
16.	त्रिपुरा	904	932	943	946	945	950
17.	मेघालय	949	937	942	954	955	975
18.	असम	868	869	896	910	923	932
19.	अंडमान-निकोबार	625	617	644	760	818	846
20.	प० बंगाल	865	878	891	911	917	934
21.	झारखण्ड	961	960	945	940	922	941
22.	ओडिशा	1022	1001	988	981	971	972
23.	छत्तीसगढ़	1024	1008	998	996	985	990
24.	मध्य प्रदेश	945	932	920	921	912	920
25.	गुजरात	952	940	934	942	934	921
26.	दमन दीव	1125	1169	1099	1062	969	709
27.	दादर व नगर हवेली	946	963	1007	974	952	811
28.	महाराष्ट्र	941	936	930	937	934	922
29.	आँध्र प्रदेश	986	981	977	975	972	978
30.	कर्नाटक	966	959	957	963	960	964
31.	गोवा	1128	1066	981	975	967	960
32.	लक्षद्वीप	1043	1020	978	975	943	947
33.	केरल	1028	1022	1016	1032	1036	1058
34.	तमिलनाडु	1007	992	978	977	974	986
35.	पुदुच्चेरी	1030	1013	989	985	979	1001

सारणी-2 से स्पष्ट है कि केरल राज्य को छोड़ दें तो प्राय: सभी राज्यों की स्थिति में लैंगिक अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों से पंजाब में स्थिति अच्छी नहीं थी परंतु बाद की जनगणना में इसमें क्रमश: सुधार देखा गया। हरियाणा, आँध्रप्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में लैंगिक अनुपात काफी कम रहा है।

भारत में राज्यवार लैंगिक विषमता के कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर विचार करें तो यह

निम्न रूप में सूचीबद्ध की जा सकती है–

(1) संतान की चाहत,
(2) बालिकाओं के प्रति विभेद,
(3) समाज में दहेज की कुरीति,
(4) बालिकाओं की शादी की परेशानियाँ,
(5) गर्भावस्था के दौरान आसानी से हो रहे लिंग की जाँच आदि,
(6) चिकित्सीय मूल्यों का ह्रास और
(7) कुछ राज्य सरकारों द्वारा दो बच्चों की नीति का अनुपालन।

स्त्रियों की संख्या में गिरावट तो लगभग सभी दशक में दर्ज किया गया परंतु 2001 की जनगणना ने एक खतरे की घंटी बजा दी। वस्तुतः जनगणना संबंधी आँकड़ों का कुछ राज्यों में विशेषकर 0–6 वर्ष की बालिकाओं का लैंगिक अनुपात काफ़ी कम रहा। आँकड़ों से स्पष्ट है कि कुछ राज्यों एवं जिलों की स्थिति चिंतनीय हैं। अतः इस ओर ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है।

सामाजिक अनुप्रयोग – लैंगिक अनुपात में दिनों-दिन हो रही गिरावट सामाजिक संरचना के बदलाव को भी दर्शाती है। इसके कुछ प्रभावों को निम्न रूप में अंकित किया जा सकता है–

(i) परिवार जैसे संस्था के ऊपर प्रभाव– परिवार के अंदर पुरुष एवं स्त्रियों की भूमिका परिवर्तित हो रही है। बच्चों एवं बुजुर्गों की देख-भाल के लिए वेतन देकर बाहर से लोगों को रखना पड़ रहा है।
(ii) विवाह जैसी संस्था के ऊपर प्रभाव– स्त्रियों की संख्या में ह्रास आने से पौलीगैमी विवाह की प्रथा बढ़ जाऐगी। स्त्रियों की स्थिति में दिनोंदिन गिरावट आ रही है।
(iii) स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियाँ आ रही है। HIV/AIDS आदि रोगों का प्रभाव व्यापक हो रहा है।
(iv) स्त्रियों के प्रति हिंसा बढ़ रही है।
(v) स्त्रियों एवं बालिकाओं का शोषण हो रहा है।
(vi) स्त्रियों एवं बालिकाओं का अपहरण बढ़ रहा है।

अतः सामाजिक वैज्ञानिकों को आने वाले खतरों की पहचान करके कुछ प्रयास शिक्षा के आरंभिक स्तर से ही करने होंगे जिससे स्थिति नियंत्रित हो सके।

6

बच्चे अध्यापक की परीक्षा लेते हैं*

कन्हैयालाल वर्मा

सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कई बार बच्चे कुछ विनोद भी कर देते हैं। यह एक ऐसा पल होता है, जिसमें बच्चे एक प्रकार से शिक्षक की परीक्षा लेते हैं। यदि बच्चों द्वारा किए गए विनोद को लेकर शिक्षक उत्तेजित और क्रोधित हो जाता है तो एक प्रकार से वह अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसके विपरीत यदि शिक्षक भी विनोद को विनोद रूप में ही ले, तो वह बच्चों के मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।

अगस्त 2007 को किसी दिन मुझे होटल प्रबंधन की ओर से गाइडों की कक्षा में राजस्थान की चित्रकला पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। व्यवस्थापक बिना मेरा कोई परिचय दिए मुझे कक्षा में छोड़ गए। कक्षा में लगभग पचास के आस-पास गाइड रहे होंगे। उनमें मात्र एक महिला गाइड थीं। ज्यों ही मैं कक्षा के समक्ष प्रस्तुत हुआ कि पिखे जैसी आवाज़ गूँजी और पूरी कक्षा ठहाका लगाकर हँसने लगी। पिखे की आवाज़ इतनी यथार्थ थी कि कक्षा को हँसते हुए देखकर मुझे भी हँसी आ गई। सब मेरी ओर देखने लगे कि मैं क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ। इसी दौरान मेरी हँसी मुस्कुराहट तक आ चुकी थी। मैंने मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के अंदाज़ में कहा कि सुंदर स्वागत के लिए आप समस्त महानुभावों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इतना कहना था कि कक्षा में शांति का साम्राज्य छा गया। फ़िर तो कक्षा मेरे हाथ में थी। एक घंटा कब पूरा हो गया – न मुझे पता चला और न ही कक्षा को। व्याख्यान समाप्त होने के पश्चात् मुझे गाइडों ने घेर लिया था और चित्रकला पर बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न करने लगे थे। मैंने यथासंभव सबका समाधान किया।

मेरे जीवन का अधिकांश समय कक्षा में व्यतीत हुआ है। यह स्वाभाविक है कि विनोद के क्षण आते रहे और मैं उनका भरपूर आनंद लेता रहा। विद्यार्थियों के क्रिया-कलापों से कभी विचलित नहीं हुआ। कुछ विनोद के क्षण आज भी मुझे आनंद से भर देते हैं।

*राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति, जयपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका *अनौपचारिका*, मई 2009 से साभार

कक्षा आठ में छात्रों को प्रतिकृति चित्र बनाना सिखा रहा था। मैंने श्यामपट्ट पर अजंता का एक अलंकरण बनाया। छात्रों से कहा कि इसे देखकर अपनी चित्रकला की कॉपी में बनाएँ। अपेक्षा तो यह थी कि छात्र चित्रण में व्यस्त हो जायेंगे, लेकिन एक अज़ीब-सी फ़ुसफ़ुसाहट से कक्षा में हलचल शुरू हो गयी। तभी पीछे बैठे एक छात्र ने पड़ोसी छात्र की कॉपी ऊँची करते हुए कहा, 'देखिए सर, इसने आपका चित्र बनाया है' और पूरी कक्षा हँसने लगी। मैंने पास जाकर उस चित्र को देखा तो बालमन की सहज अभिव्यक्ति देखकर मुझे भी हँसी आ गया। परंतु जिस छात्र ने वह चित्र बनाया था उसकी स्थिति खराब थी मानो काटो तो खून नहीं अथवा जैसे चोरी पकड़ में आ गयी हो। पूरी कक्षा की दृष्टि दोनों पर टिक गयी। मैंने मुस्कुराते हुए उस छात्र से कहा – 'बहुत सुंदर चित्र बनाया है।' इतना कहना था कि कक्षा में प्रसन्नता का वातावरण बन गया, और छात्र चित्रण में संलग्न हो गए।

एक दिन कक्षा बारह में 'जयपुर शैली' को पढ़ा रहा था। जयपुर सांभर के निकट है अत: प्रश्नोत्तर विधि से भूमिका में जयपुर का संक्षिप्त परिचय छात्रों से प्राप्त करना था। कुछ प्रश्नों के पश्चात् मैंने एक प्रश्न यह भी किया- 'जयपुर में स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी एक इमारत का नाम बताइए?' इसे सुनते ही पीछे बैठे एक ऐसे छात्र ने हाथ खड़ा कर दिया जो अकसर प्रश्नोत्तर में निष्क्रिय-सा ही रहता था। मैंने उसी से पूछ लिया, उसने तपाक से कहा, 'राजमंदिर' और कक्षा हँसने लगी। मुझे भी हँसी आ गयी। कुछ ही क्षणों में संयत होते हुए मैंने कहा, 'उत्तर सही है, मेरा प्रश्न ही ठीक नहीं था, मुझे किसी एक इमारत के स्थान पर किसी प्राचीन इमारत का नाम पूछना चाहिए।' फिर तो प्रश्नोत्तर विधि एवं विषय के अनुकूल पाठ और अधिक रोचक बन गया।

मुझे कभी-कभी अपने घर में भी कक्षा का अनुभव होने लगता है। मेरे मित्र की सात वर्षीय पौत्री तनुश्री एक दिन आकर कहती है, 'दादू, देखो मैंने यह चित्र बनाया है।' उसे पता है कि मैं चित्र बनाता हूँ, और उसे भी चित्र बनाना सिखा सकता हूँ, अत: इसी आशय से वह मेरे पास आयी थी। मैं उसका बनाया चित्र देखने लगा। उसने पानी में कमल का फूल बनाया था, कली भी थी, एक मछली तैर रही थी, बस। चित्र बहुत सुंदर था। मैंने कहा– 'इसमें कमल का पत्ता तो है ही नहीं।' वह हँसने लगी और थोड़ी देर हँसने के बाद खिलखिलाते हुए बोली, 'पत्ता तो पानी में डूब गया।' और मुझे भी हँसी आने लगी।

एक दिन मेरे कुछ छात्र अपने एक साथी छात्र की शिकायत लेकर आए, और कहने लगे, 'सर, उधर बरामदे में चलकर देखिए, कालू ने सारा आँगन चॉक, से ऊटपटाँग चित्र बनाकर खराब कर दिया। मैंने जाकर देखा। तब तक छात्र कालू को भी पकड़कर ले आए थे। कालू बहुत ही डरा हुआ और सहमा-सा था। मैंने आँगन पर उसका बनाया हुआ चित्र देखा। टहनी पर लगा गुलाब का फूल, उस पर उड़ता हुआ तोता, झोंपड़ी और पास में बरगद का पेड़, एक गाय चरती हुई आदि। मुझे सब कुछ

अच्छा लग रहा था, लेकिन छात्र दबी हुई हँसी, हँस रहे थे। मैं उनकी मनोदेश भाँप गया गया था। मैंने कालू के कंधे पर प्यार भरा हाथ रखते हुए छात्रों से कहा, 'थोड़ा ज़ोर से हँसकर प्रसन्नता व्यक्त करिए। कालू ने बहुत सुंदर चित्र बनाया है' मैंने कालू से आँगन पर चित्र बनाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पास कॉपी, पेंसिल और रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। यही कारण है कि वह कक्षा से अनुपस्थित भी रहता है, और अपना शौक आँगन या मिट्टी पर चित्र बनाकर पूरा कर लेता है। मैंने उसके लिए कॉपी, पेंसिल और रंग की व्यवस्था करवा दी। अब तो कालू, कमलेश कुमार के नाम से जाना जाता है, और किसी बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत है।

मैं छात्रों को अपने चारों ओर बैठाकर चित्र बनाना सिखाया करता था। ऐसे ही अवसर पर एक छात्र को शरारत सूझी। वह मेरे कंधे की तरफ़ बैठा हुआ था। उसने एक तिनका मेरे कान पर छुआकर तुरंत हटा लिया। मैंने समझा कोई मक्खी है, और मैं उसे हाथ से उड़ाने लगा। यह क्रिया तीन-चार बार हुई। तब तक अन्य छात्र भी इस क्रिया को समझ चुके थे। कक्षा में हल्की हँसी के साथ फ़ुसफ़ुसाहट शुरू हो गयी। मुझे भी दाल में काला नज़र आया, और अंतिम बार जब इस हरकत की पुनरावृत्ति हुई तो झट से मैंने तिनके सहित उस छात्र का हाथ पकड़ लिया। कक्षा तो हँसने लगी और छात्र घबरा गया। छात्र को घबराया हुआ देखकर, उसे संयत करने के लिए मैं हँसने लगा। मैंने इतना ही कहा, 'ऐसा नहीं करते है' और इसके बाद सदा वह छात्र कक्षा में संयत रहने लगा।

कक्षा में 'विनोद के क्षण' चित्रकला विषय में ही नहीं आते, अपितु प्रत्येक विषय में आते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है, जिसमें अध्यापक की परीक्षा छात्र लेते हैं। यदि अध्यापक थोड़ा भी विचलित हुआ तो समझिए वह अनुत्तीर्ण है और यदि विनोद को आनंद के रूप में लिया तो उत्तीर्ण है।

❑❑❑

अनुभव

7

आने लगी हैं तितलियाँ स्कूल में

अक्षय कुमार दीक्षित*

उत्साह और उमंग से भरपूर बच्चों को विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ अन्य गतिविधियों में भी शामिल किया जाए, तो शिक्षक के साथ उनका एक आत्मीय रिश्ता कायम हो जाता है साथ ही विद्यालय की स्थिति में भी सुधार लाया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षक उचित ढंग से कार्य-योजना बनाए, बच्चों का विश्वास जीते और बच्चों की क्षमता पर विश्वास रखें। इस प्रकार के अनुभव पर यह लेख आधारित है।

मेरा विद्यालय एक महानगर के शहरीकृत गाँव में स्थित है जिसमें वर्षों पहले खेतीबाड़ी बंद हो चुकी है। विद्यालय में अन्य सरकारी स्कूलों की तरह ज़मीन तो है, पर संसाधनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी है ऐसे ही छोटे-बड़े संघर्षों और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की।

जब मेरा तबादला इस स्कूल में हुआ, मेरा ध्यान बेकार पड़ी ज़मीन की ओर गया। ज़मीन दीमक, झाड़ियों और पुरानी इमारत के मलबे से भरी थी। बच्चे वहाँ खेल भी नहीं सकते थे क्योंकि वहाँ बरसात में साँप-बिच्छू निकलने का खतरा भी रहता था। उसी समय मेरे मन में एक सपने ने जन्म लिया– क्यों न यहाँ बागवानी या खेती करवाई जाए! सपना छोटा-सा था, पर इसे साकार करना उतना ही कठिन था। उस ज़मीन को खेती लायक बनाने में एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाना पड़ा तथा वर्षों का इंतज़ार करना पड़ा।

मैंने तब तक इंतज़ार किया जब तक मेरी कक्षा के बच्चे खेती-बाड़ी की बारीकियाँ और ज़िम्मेवारियाँ समझने लायक बड़े नहीं हो गए। मेरे पास केवल मेरा संकल्प और मेरी बाल-सेना ही तो थी, जिसके दम पर मैं अपने सपने को साकार करने की कल्पना कर रहा था। जब मेरे बच्चे तीसरी कक्षा में पहुँच गए, तब जाकर मैंने इस कार्य में बच्चों का सहयोग लेने की शुरुआत की। पेड़-पौधों से प्यार और उनकी देखभाल की प्रेरणा तो मैं पहली कक्षा से दे रहा था, अब उससे आगे बढ़ने का समय था

*सी-633, जे. वी. टी. एस. गार्डन, छत्तरपुर एक्सटेंशन नयी दिल्ली - 110074

एक दिन उचित अवसर देखकर मैंने बच्चों का मन टटोलना चाहा। मैंने पूछा, "आपमें से कौन-कौन बच्चे खेतों में काम कर चुके हैं?" इस सवाल को सुनते ही अनेक हाथ खड़े हो गए। अनेक बच्चे अपने गाँव में दादा-दादी या चाचा-चाची को खेतों में काम करते देख चुके थे। कभी-कभी उनकी मदद भी करते थे। वे उत्साह से भरकर अपने अनुभव सुनाने लगे। उनके अनुभवों को सुनकर मुझे लगा कि वे खेती-बाड़ी के बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मेरा लालन-पालन पूरी तरह शहर में हुआ था और मुझे खेती-बाड़ी को समझने का कभी अवसर ही नहीं मिल सका। मैंने पूछा, "क्या हम अपने स्कूल में खेती कर सकते हैं?" बच्चों को प्रतिक्रिया देने में केवल दो पल लगे। सब बच्चे खेती की बात से ही इतने उत्साहित थे मानो अभी खेत तैयार कर डालेंगे। वे तरह-तरह के सुझाव देने लगे, "सर, उधर कोने वाली ज़मीन बेकार पड़ी है, हम वहीं खेती कर लेंगे।" "पर वहाँ तो बहुत मलबा पड़ा है।" मैंने शंका ज़ाहिर की। "कोई बात नहीं सर! मलबा हम चुटकियों में हटा देंगे।''

"पर उगाएँगे क्या"?

"मिर्ची उगाएँगे, आलू, प्याज, पालक, लहसुन, धनिया, लौकी, मूली, मेथी..." तरह-तरह के नाम सामने आने लगे।

यह तो स्पष्ट था कि बच्चे अब खेत बनाकर ही दम लेंगे पर अब समस्या संसाधनों की थी स्कूल में एक टूटा फ़ावड़ा, एक खुरपी, दो तसले और एक बाल्टी थी। इन चीज़ों के सहारे बंजर ज़मीन से मलबा हटाना और उसे खेती लायक बनाना असंभव-सी बात थी। मैंने एक फ़ावड़ा और खरीद लिया। संयोग से विद्यालय के एक कर्मचारी के बेटे के पास से सामान ढोने वाली छोटी-सी रिक्शागाड़ी मिल गई। मलबे को दूर ले जाकर डालने के लिए उसका सहयोग भी मिल गया फिर हमने शुरू किया अपना अंतहीन लगने वाला सफ़र।

इस कार्य के लिए स्कूल के दैनिक क्रियाकलापों के बीच ही समय निकलना था इसलिए कभी आधा घंटा, कभी एक घंटा तो कभी दो घंटे हम मलबा उठाने का काम करते। प्रत्येक छोटा-बड़ा बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार कंकड़-पत्थर और मिट्टी उठाता।

उनकी लगन के आगे प्रत्येक कठिनाई छू-मंतर हो जाती। धीरे-धीरे मैदान साफ़ होने लगा। मेरी कक्षा के बच्चों का उत्साह तथा उनकी मेहनत का परिणाम देखकर अन्य कक्षाओं के बच्चे भी आकर काम करने की इच्छा जाहिर करने लगे। कुछ समय बाद उनके अध्यापक भी आ गए और सब दिल खोलकर इस कार्य में अपना योगदान देने लगे। सब मिलकर बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखते, उनको मार्गदर्शन देते, स्वयं भी फ़ावड़ा हाथ में लेकर खुदाई करते तथा एक-दूसरे को प्रोत्साहित करते। मेरा विश्वास इस बात में और अधिक दृढ़ हो गया कि बच्चे पत्थरों को भी मोम बना सकते हैं।

मैदान को खेती लायक बनाने की कोशिश में काफ़ी समय लगा। जब ज़मीन लगभग तैयार हो गई, हमने निश्चय किया कि वर्षा के मौसम से पहले हम बुवाई का कार्य प्रारंभ करेंगे। परंतु

वर्षा ऋतु के आने में काफ़ी समय शेष था। फिर वार्षिक परीक्षाएँ प्रारंभ हो गई और बच्चे चौथी कक्षा में पहुँच गए।

नयी कक्षा में आकर हमने फिर से अपने भावी खेत को थोड़ा-थोड़ा समय देना प्रारंभ किया मलबा, झाड़-झंकार पहले ही हटाए जा चुके थे, पर मिट्टी को अच्छी तरह साफ़ कर कंकड़-पत्थर निकालने थे।

बच्चे फिर दुगुने उत्साह से जुट गए। उनका सपना सच जो होने जा रहा था। सब अपने खेत में अपनी सब्ज़ियाँ उगाने और उन्हें खाने की बाट जोह रहे थे।

इधर-उधर बेकार पड़ी ईंटों को क्रम से लगाकर हमने अपने खेत की सीमा निर्धारित करनी शुरू कर दी। बच्चे टोलियों में व्यवस्थित रूप से काम करते। कुछ बच्चे पत्थर चुनकर ढेरी बनाते, कुछ उन्हें दूर डालकर आते, कुछ बच्चे ईंटे लाते, कुछ उन्हें जमाते। आखिरकार ज़मीन का एक छोटा-सा टुकड़ा खेती के लिए पूरी तरह तैयार लगने लगा।

"कल हम बुवाई करेंगे।" मेरी यह बात सुनते ही बच्चों ने गिनवाना शुरू कर दिया कि वे क्या-क्या लगाएँगे? "मैं मिर्च उगाऊँगी। मेरी माँ घर पर ही मिर्च उगाती है। मिर्च को सुखाकर उसके बीज मिट्टी में फैला दो तो वो अपने आप उग जाते हैं" भारती ने बताया। भारती भी मेरी कक्षा में पढ़ती है। "मैं आलू लाऊँगा। आलू की आँख आई हो तो उसे काटकर ज़मीन में लगा दो। वह आलू का पौधा तो रखे-रखे ही निकल आता है" सुमित ने बताया। "मैं धनिया लगाऊँगी। साबुत धनिया थोड़ा तोड़कर मिट्टी में फैला दो तो वह जल्दी उग जाता है" नरेश ने बताया।

अगले दिन प्रत्येक बच्चा उगाने के लिए कुछ-न-कुछ लाया था। मैं खेती-बाड़ी के बारे में बच्चों से बहुमूल्य सबक सीख रहा था। जब बच्चे अपनी पहली फ़सल उगाने पहुँचे, कुछ अन्य अध्यापिकाओं ने भी उनका मार्गदर्शन किया, पर लगभग सभी कार्य बच्चों ने अपने आप स्वतंत्र रूप से ही किए। एक कतार में आलू लगाने थे। किसी ने सुझाव दिया कि मिट्टी की मुंडेर-सी बनाकर उसमें आलू के टुकड़े बोने चाहिए। बच्चों ने ऐसा ही किया। एक कतार प्याज़ की, एक लहसुन की और एक आलू की लगा दी गई। बच्चे समझते थे कि अब नियमित रूप से पानी देना होगा और बेकार के पौधे (खरपतवार) भी निकालने होंगे।

इधर कुछ बच्चे बुवाई कर रहे थे, उधार कुछ बच्चों ने ज़मीन का अगला टुकड़ा तैयार कर दिया था। धीरे-धीरे हम अपने खेत का आकार बढ़ाते रहे और रोज़ कुछ-न-कुछ बोते रहे। एक अध्यापिका ने प्रस्ताव रखा कि उनके घर के पास गोबर से बनी खाद मिल जाती है। उसे मँगवा लिया जाए। दो रिक्शा भरकर खाद भी आ गई। हमारे स्कूल में पेड़ों के गिरे पत्तों से बनी खाद वर्षों से जमा होती रही थी। वह उपजाऊ मिट्टी भी हमने उठवा ली। इस तरह हमने अपने खेतों में भरपूर पोषण का पक्का इंतेज़ाम कर लिया।

इस पूरे कार्य के दौरान बच्चे आपस में सहयोग कर रहे थे, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही थी, उनका परिवेश के प्रति

नज़रिया बदल रहा था और वे अधिक संवेदनशील बन रहे थे। 'हम भी सृजन कर सकते हैं!' इस विश्वास का उजाला उनके चेहरों पर देखा जा सकता था। साथ ही एक निश्छल-सी उम्मीद, कि हम अपनी उगाई सब्ज़ी खा सकेंगे।

अलग-अलग पौधों की ज़रूरतें अलग होती हैं और उनकी देखभाल के तरीके भी, यह बात भी हमें समझ आ रही थी। जो आलू हमने मिट्टी की मुंडेर बनाकर बोए थे, उनमें से पौधे निकले ही नहीं। बच्चों ने इस बार अपनी समझ से काम लिया और अतिरिक्त मिट्टी हटा दी। कुछ ही दिनों में पौधे नज़र आने लगे। दूसरी ओर, प्याज़ का पौधा तो निकल आया, पर पता चला कि ज़मीन में प्याज़ नहीं बढ़ेगी। हमें पौधे से ही संतोष करना पड़ा। जहाँ धूप कम मिल रही थी, वहाँ पौधे कम बढ़ पा रहे थे। इस कारण हमने उधर ऐसे पौधे लगाने की योजना बनाई जिन्हें कम धूप की ज़रूरत पड़ती है। कुछ झाड़ियों आदि की छँटाई भी करनी पड़ी।

अब तो पूरी चार-दिवारी के साथ-साथ हमारे खेत फैल चुके थे। हम अध्यापकों ने कुछ पैसे जमा करके पालक, लौकी, बैंगन, मूली, मटर आदि के बीज़ मँगवा लिए। उन्हें भी बो दिया गया। बच्चे सिंचाई का भी पूरा ध्यान रखते। शनिवार को अधिक देर तक सिंचाई करते ताकि रविवार की कमी को भी पूरा किया जा सके। सोमवार के स्कूल में आते ही सबसे पहले पौधों का हालचाल पूछने उनके पास जाते।

पौधों के कारण स्कूल की हालत ही बदल गई थी। जहाँ मलबा बिखरा पड़ा था, वहाँ सुंदर तथा व्यवस्थित पौधे लगे थे। इक्का-दुक्का नासमझ अभिभावकों का शिकायती स्वर भी बंद हो गया था। अज्ञानतावश वे भी किताबी पढ़ाई-लिखाई को ही वास्तविक शिक्षण समझते थे। उन्हें चिंता थी कि बच्चों के समय का उचित इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब तो वे भी क्यारियों के पास आ-आकर बच्चों की मेहनत का चमत्कार देखने लगे।

कुछ बच्चों ने पक्षियों और गिलहरियों को डराने के लिए बिजूका भी बना लिया। अपने खेतों को कुत्तों से भी बचाना था जो नरम और ठंडी मिट्टी में बैठने की लालच में जहाँ-तहाँ अपना आरामदायक गड्ढा बना लिया करते थे। अनेक बार हमारे औज़ार कम पड़े, क्षतिग्रस्त हुए, अनेक बार हमें काम रोकना पड़ा परंतु अब हमारा सपना सच हो गया था।

फ़सल तैयार होने लगी थी। एक दिन स्कूल आए तो देखा कि किसी ने आलू के पौधे उखाड़कर आलू निकाल लिए हैं और पौधों को फिर से लगा दिया है ताकि पता न चले। पर बच्चों की पैनी नज़र से कुछ छिपता है भला! अब मुझे चिंता हुई कि बच्चों की मेहनत कहीं व्यर्थ न चली जाए। मैंने बच्चों से कहा कि वे बचे हुए आलू तथा बाकी फ़सल इकट्ठी कर लें। सारी उपज़ बच्चों में बाँट दी गयी, बच्चे अपनी मेहनत को खज़ाने की तरह सहेजकर अपने-अपने घर में ले गए। अगले दिन मैंने उनसे पूछा, ''जब आप अपनी उगाई सब्ज़ियाँ अपने घर ले गए तो मम्मी-पापा ने क्या कहा?''

"बहुत खुश हुए।" सब बच्चे एक स्वर में बोले।

"मेरा धनिया मम्मी ने रात के खाने में डाला।"

"मेरी मम्मी ने पापा को बताया कि ये आलू की सब्ज़ी मेरे उगाए आलुओं से बनी है तो पापा हैरान रह गए"

मेरे पापा ने कहा – "ओहो! अब पता चला कि ये आलू क्यों ले गई थी स्कूल में!"

सब बच्चे उत्साहित स्वर में बता रहे थे।

मुझे महसूस हुआ कि हमारे खेतों ने स्कूल और अभिभावकों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया है।

प्याज़ के पत्ते, मेथी, पालक, सरसों और मूली का स्वाद हमने स्कूल में भी लिया और घर में भी। पालक को बार-बार काटते पर फिर-फिर उग आता। बच्चों ने ही नहीं, बल्कि अध्यापकों ने भी उसके स्वाद का लुत्फ लिया।

वर्तमान स्थिति – इस वर्ष बच्चों ने पिछले वर्ष के मुकाबले दुगुनी ज़मीन पर फूलों के पौधे लगाए हैं। दीवारों पर गेरू और खड़िया से पारंपरिक चित्र बनाए हैं। आजकल फूलों के इर्द-गिर्द बच्चे तो खेलते ही हैं, तितलियाँ भी स्कूल में आने लगी हैं।

❑❑❑

शोध

8

विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन

ऋतु खन्ना*

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण उन सभी बच्चों के लिए संभावनाओं का द्वार खोलता है जो कि विशेष आवश्यकता वाले (CWSN) हैं। समावेशित शिक्षा के माध्यम से सामान्य विद्यालयों में अन्य छात्रों के साथ शिक्षाग्रहण करने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा होनी चाहिए। प्रस्तुत लेख में शोधार्थी ने यह जानने का प्रयास किया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में क्या प्रयास किए गए हैं।

1. प्रस्तावना

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य कार्यक्रम निम्नानुसार है–

- पूरे देश के लिए ''गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षा'' की आवश्यकता एवं माँग आपूर्ति करना।
- प्राथमिक शिक्षा के द्वारा बुनियादी सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर मुहैया कराना।
- पंचायतीराज संस्थाओं, पाठशाला विकास एवं प्रबंधन समितियों, ग्राम शिक्षा समितियों, शहरी कच्ची बस्तियों की शिक्षा समितियों, छात्र अभिभावक परिषद्, मातृ अभिभावक परिषद् जनजातीय स्वायत परिषदों तथा अन्य ज़मीन से जुड़ी संस्थाओं का विद्यालय प्रबंधन में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास।
- पूरे देश में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु केंद्र, राज्य, और स्थानीय सरकारी संस्थाओं के मध्य सहयोग करना।
- सरकारी साधनों का प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपयोग करना।

* *सहआचार्य एवं विभागाध्यक्ष (गणित)*, पेसेफ़िक विश्वविद्यालय, उदयपुर।

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न आयामों के अतिरिक्त सरकार द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य विद्यालयों में अध्ययन कराने पर भी बल दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत नवाचारी वैकल्पिक शिक्षा अथवा समावेशित शिक्षा के अंतर्गत समाज एवं शिक्षा की मुख्यधारा से वंचित विकलांग बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार की गई है। उनके लिए छात्रावास सुविधा एवं शैक्षणिक आवासीय शिविरों के साथ-साथ विद्यालयों में रैंप, शौचालय, सहायक शिक्षण समाग्री उनकी पहुँच के अनुरूप हों, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

2. समस्या कथन

''विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए प्रयासों का अध्ययन''

3. समस्या के उद्देश्य

(i) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाना।

(ii) समावेशित शिक्षा के अंतर्गत संदर्भ शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी क्रियान्विति की स्थिति को ज्ञात करना।

(iii) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए *होम बेस्ड एजुकेशन* कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का पता लगाना।

(iv) विशेष आवश्यकता वाले अभियानों से जुड़े विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों में वंचित वर्ग के प्रति आयी जागरुकता का अध्ययन करना।

(v) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में राजकीय प्रयासों के अतिरिक्त अन्य सहायक वर्गों की भूमिका एवं प्रयासों को ज्ञात करना।

(vi) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों की हिस्सेदारी का पता लगाना।

4. शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

(i) सर्व शिक्षा अभियान में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों से उनकी उपलब्धि बढ़ती है।

(ii) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु कार्य योजना का लाभ सभी विकलांग विद्यार्थियों को मिलता है।

(iii) विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में सभी विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं।

5. शोध परिसीमांकन

(i) शोध कार्य उदयपुर संभाग के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) तक सीमित है।

(ii) क्षेत्र एवं संस्था स्तर तक के जनप्रतिनिधि तथा अधिकारीगणों के अधिकारों एवं कार्यों का अध्ययन किया गया।

(iii) प्रत्येक जिले से उपलब्धता के आधार पर छह विद्यालयों एवं प्रत्येक विद्यालय से दस विद्यार्थियों का चयन किया गया।

(iv) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशासनिक, शैक्षिक, सह शैक्षिक भौतिक एवं वित्तीय व्यवस्था का अवलोकन किया गया।

6. न्यादर्श

शोध में उदयपुर संभाग के 30 स्कूलों से 30 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सउद्देशीय विधि से न्यायदर्श को बतौर लिया गया –

क्र. स.	उत्तरदाताओं का वर्ग	लक्ष्य उत्तरदाता संख्या
1.	विद्यार्थी	300
2.	अभिभावक	150
3.	प्रधानाध्यापक	30
4.	शिक्षक	90
5.	अभियान से जुड़े अधिकारीगण	10
6.	जनप्रतिनिधि	50

7. विधि

अनुसंधान में ***सर्वेक्षण विधि*** प्रयुक्त की है।

8. उपकरण एवं प्रविधियाँ

(i) साक्षात्कार अनुसूची

(ii) अवलोकन

(iii) प्रश्नावली

9. शोध के निष्कर्ष

9.1 प्रथम उद्देश्य निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन की स्थिति का निष्कर्ष–

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु निर्धारित गतिविधियों का आयोजन समय पर और सुचारू रूप से होता है व इन गतिविधियों में विद्यार्थी अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं।

9.2 द्वितीय उद्देश्य समावेशित शिक्षा के अंतर्गत संदर्भ शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा उनकी क्रियान्विति की स्थिति का निष्कर्ष–

- संदर्भ शिक्षक प्रशिक्षण कैंपों का आयोजन समय-समय पर होता है जिसमें शिक्षक अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद शिक्षक, बच्चों का चिह्निकरण एवं मूल्यांकन, दृष्टिबाधित एवं श्रवण बाधित बच्चों हेतु ब्रेल एवं श्रवण यंत्रों के उपयोग की जानकारी प्राप्त कर शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने हैं परंतु ब्रेल व श्रवण यंत्रों का उपयोग जानने वाले शिक्षको का प्रतिशत बहुत कम हैं।

9.3 तीसरे उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए *होम बेस्ड एजुकेशन* कार्यक्रम के क्रियान्वयन की स्थिति का निष्कर्ष–

ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय नहीं आ सकते, उनके घर शिक्षण हेतु केयर गिवर्स बच्चों के घर संपर्क कर उनकी दोषवार आवश्यकता का आकलन करते हैं तथा उनकी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।

9.4 चौथे उद्देश्य शिक्षकों/माता-पिता/संरक्षकों हेतु आयोजित आमुखीकरण कार्यक्रमों से जुड़े विद्यार्थियों/शिक्षकों/अभिभावकों में वंचित वर्ग के प्रति आयी जागरुकता का निष्कर्ष–

शिक्षकों/अभिभावकों के आमुखीकरण कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित होते हैं जिसमें वे अपेक्षित संख्या में भाग लेते हैं जिससे विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रति उनकी जागरुकता में वृद्धि हुई है। जिससे उनके बच्चों के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ है।

9.5 पाँचवे उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की शिक्षा में राजकीय प्रयासों के अतिरिक्त अन्य सहायक वर्गों की भूमिका एवं प्रयासों की स्थिति का निष्कर्ष –

गैर सरकारी संगठनों द्वारा अंग व उपकरण वितरण, चिकित्सकीय कैंप का आयोजन एवं पूर्ण आवासीय शिविरों का संचालन किया जाता है।

9.6 छठे उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु आयोजित गतिविधियों में विद्यार्थियों/शिक्षकों/ अभिभावकों की हिस्सेदारी की स्थिति का निष्कर्ष–

- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों हेतु निर्धारित गतिविधियों में विद्यार्थियों की हिस्सेदारी रहती है और गतिविधियों में भाग लेने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं इसके अतिरिक्त शिक्षकों हेतु आयोजित गतिविधियों में शिक्षकों की हिस्सेदारी संतोषजनक रहती है।
- परिदर्शन भ्रमण वर्ष में एक बार शिक्षकों हेतु आयोजित होता है जिसमें अपेक्षित संख्या में प्रतिभागी भाग लेते हैं।
- खेलकूद प्रतियोगिता विकलांग विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता के अनुसार होती है तथा वे उसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।
- विकलांग विद्यार्थियों में हीन भावना नहीं हो। इसके लिए *सर्व शिक्षा* ने इन प्रतियोगिताओं में दस प्रतिशत सामान्य विद्यार्थियों को भी शामिल किया है।

13. उपसंहार

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों (CWSN) हेतु किए गए प्रयासों से गतिविधियों में उपस्थित विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की वृद्धि तथा उसमें विद्यालय की शैक्षिक-सहशैक्षिक गतिविधियों एवं जीवन के प्रति सजगता एवं सकारात्मकता देखी गई साथ ही सक्रिय रूप से जुड़े, संबंधित शिक्षकों/अभिभावकों की संवेदनशीलता में भी अभिवृद्धि मिली। यदि अभियान में निर्धारित गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक/शिक्षक, अभिभावक, जनप्रतिनिधि/सामाजिक कार्यकर्ता, अभियान से जुड़े अधिकारीगण अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए स्वयं से संबंधित कर्म को निस्पृह (जिम्मेदारी एवं समर्पण) भाव से संपादित करें तो उदयपुर संभाग सहित समूचे राज्य/राष्ट्र के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए लक्षित बिंदुओं पर सफलता अर्जित की जा सकती है।

❑❑❑

9

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन

अश्वनी कुमार गौड़*

संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना समायोजन कर लेते हैं परंतु असंतुलित व्यक्तित्व वाले लोगों का समायोजन थोड़ा मुश्किल होता है इस परिस्थिति में व्यक्ति अपने कार्य में संपूर्णता नहीं ला पाता है। उक्त लेख में शोधार्थी ने प्राथमिक शिक्षकों के संदर्भ में यह जानने का प्रयास किया है कि कक्षागत परिस्थितियों में उनका व्यक्तित्व उनके समायोजन में किस तरह से सहायक है।

1. समस्या की उत्पत्ति

''व्यक्तित्व विभिन्न मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति के वातावरण के प्रति अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है।'' **आलपोर्ट** की इस परिभाषा से स्पष्ट है कि व्यक्तित्व से तात्पर्य उस प्रभाव से है जो अपने आचरण एवं व्यवहार से दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करता है अथवा शीलगुण व्यवहार जैसे–प्रसन्नता, आत्मविश्वास, कर्तव्यनिष्ठता आदि से प्रभावित होकर उन्हें अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में स्थिर रूप से प्रकट करता है। इस प्रकार व्यक्तित्वशील गुणों में एक आकर्षण शक्ति होती है जो व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समाज में रहकर व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में समायोजन करने की आवश्यकता होती है जैसे–व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्र इत्यादि। इनमें से किसी भी एक क्षेत्र में यदि व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता तो उसका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए **डब्ल्यू.एफ.ब्रूस** ने भी कहा है– "व्यक्ति व्यक्तित्व के स्थायी संगठन के लिए असंतुलित वातावरण की अपेक्षा अपने भौतिक एवं सामाजिक वातावरण में उचित सामंजस्य स्थापित करें।"

* *रीडर(शिक्षा),शिक्षासंकाय*, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा।

शिक्षा नीति का प्रमुख लक्ष्य है कि मानव जीवन का संपूर्ण विकास करना तथा व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना जिससे व्यक्ति परिवेश, पर्यावरण व समाज की परिवर्तित परिस्थिति में समायोजन कर सके और इस लक्ष्य की पूर्ति का केंद्र है अध्यापक, एक अच्छा अध्यापक वही हो सकता है जिसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो चुका हो। व्यक्तित्व का संबंध शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक तीनों पक्षों से संबंधित क्रियाओं से है जिन्हें अध्यापकों को अपने विद्यालय में संपादित करना होता है इस कार्य में उनके व्यक्तित्वशील गुणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

जायसवाल के शब्दों में – "अध्यापन कार्य एक प्रकार की कला है, एक सेवा है जिसमें वही आनंद मिलता है जो कलाकार को अपनी कला की साधना में मिलता है।" दूसरे शब्दों में अध्यापन कार्य एक ऐसा सृजनात्मक कार्य है जिसमें अध्यापक को विद्यार्थी के लिए वातावरण का सृजन करना होता है। व्यक्तित्वशील गुणों का संबंध व्यक्ति के भावनात्मक पक्ष से है। अध्यापक को कक्षा-कक्ष में बच्चों के साथ अंत क्रिया करनी होती है, विचारों को संप्रेषित करना होता है जिसका प्रभाव बच्चों के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्षों पर पड़ता है। अध्यापक ऐसा तभी कर सकता है जब वह स्वयं में समायोजित हो। उदाहरणार्थ यदि अध्यापक कक्षा-कक्ष में अपना कार्य समय पर पूर्ण नहीं कर पा रहा है, वह कक्षागत परिस्थितियों के अनुकूल अपने को समायोजित नहीं कर पा रहा है वह अध्यापन कार्य कर रहा है लेकिन विद्यार्थी उसकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, उपर्युक्त उदाहरण अध्यापक के व्यक्तित्वशील गुणों के अभाव को दर्शाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्यापकों के समायोजन की समस्या एक ज्वलंत समस्या है भले ही वे समायोजन उनके व्यक्तित्व के साथ हो या अपने कार्य के साथ। आज शिक्षा के विकास ने उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों की संख्या तो बढ़ा दी है किंतु उनको अपनी योग्यतानुसार विद्यालयों में अध्ययन के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाए हैं ऐसे में उनके समायोजन का प्रश्न उठ खड़ा होता है कि क्या वे अपने व्यक्तित्वशील गुणों के साथ उचित समायोजन कर पा रहे हैं?

उक्त समस्या के समाधान हेतु शोधार्थी में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में गहनता तथा विस्तार से अध्ययन करने की इच्छा जाग्रत हुई है।

2. समस्या का कथन

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों को कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन।

3. समस्या में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

प्राथमिक विद्यालय

ऐसे सरकारी व निजी विद्यालय जहाँ प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक 5 से 10 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती हैं।

कार्यरत अध्यापक

कार्यरत अध्यापक से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो वर्तमान में विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं।

व्यक्तित्वशील गुण

व्यक्तित्वशील गुणों से अभिप्राय व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाले उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार की संगति एवं उपयुक्त अपेक्षाकृत स्थायी रूपों को अभिव्यक्त करते हैं जैसे– ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, समय की पाबंदी, सहयोग व सुसंस्कृत व्यवहार, आदर्शवादिता, अमूर्त चिंतन की योग्यता एवं चातुर्य इत्यादि शील गुण।

कक्षा-कक्ष समायोजन

समायोजन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति वातावरण के साथ तादात्म्य स्थापित कर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है।

प्रस्तुत अध्ययन में समायोजन से आशय शिक्षक वर्ग का विद्यालय विशेष के नियमों के अनुकूल अपने को ढाल लेना, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधियों में भाग लेना, उनसे संतुष्टि प्राप्त करना तथा कक्षा में सही ढंग से कार्य करना ही कक्षा-कक्ष समायोजन है।

4. अध्ययन के चर

स्वतंत्र चर – व्यक्तित्वशील गुण

आश्रित चर – कक्षा कक्ष समायोजन

5. अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं-

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कम शिक्षण अनुभवी (0-2 वर्ष) एवं अधिक शिक्षण अनुभवी (2 से अधिक वर्ष) अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।
3. प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत वांछित शैक्षिक योग्यता (इंटर, स्नातक, बी.टी.सी., एन.टी.टी.) एवं अधिक शैक्षिक योग्यता (परास्नातक, बी.एड., एम. एड, पी.एच.डी.) रखने वाले अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों का कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना।

6. अध्ययन की उपकल्पनाएँ

निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत पुरुष एवं महिला अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुण कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में भिन्न-भिन्न होंगे।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत कम शिक्षण अनुभवी (0-2 वर्ष एवं अधिक शिक्षण अनुभवी 2 से अधिक वर्ष) अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों में कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में सार्थक अंतर होगा।
3. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत वांछित शैक्षिक योग्यता (इंटर, स्नातक, बी.टी.सी., एन.टी.टी.) एवं अधिक शैक्षिक योग्यता

(परास्नातक, बी.एड., एम. एड., पी.एच. डी.) रखने वाले अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुण कक्षा-कक्ष समायोजन के परिप्रेक्ष्य में भिन्न-भिन्न होंगे।

7. अध्ययन की परिसीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन को निम्नलिखित परिसीमाओं के क्रम में प्रस्तुत किया गया है–

1. प्रस्तुत अध्ययन में आगरा नगर के 20 निजी प्राथमिक विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है।
2. अध्ययन दो चरों यथा व्यक्तित्व गुण एवं कक्षा-कक्ष समायोजन तक सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन में मात्र 100 शिक्षकों को न्यादर्श के रूप में सम्मिलित किया गया है।

8. अध्ययन की विधि

प्रस्तुत शोध कार्य की प्रकृति को ध्यान में

अध्ययन का न्यादर्श

क्र.सं.	प्राथमिक विद्यालयों का नाम	महिला शिक्षक	पुरुष शिक्षक	कुल शिक्षक
1.	लाल बहादुर शास्त्री स्कूल	3	2	5
2.	प्रेम विद्यालय	3	1	4
3.	नव ज्योति विद्यालय	4	1	5
4.	आदर्श पब्लिक स्कूल	2	3	5
5.	सरस्वती शिशु मंदिर	1	4	5
6.	एम.पी.टी. स्कूल	4	2	6
7.	लवकुश विद्यालय	3	2	5
8.	शक्ति बाल विद्यालय	4	–	4
9.	श्याम पब्लिक स्कूल	3	1	4
10.	डॉली पब्लिक स्कूल	5	1	6
11.	सेंट नेल्सन स्कूल	5	–	5
12.	चंद्रा मांटेसरी स्कूल	4	–	4
13.	ओ.पी. पब्लिक स्कूल	4	2	6
14.	माया मार्डन पब्लिक स्कूल	5	–	5
15.	सेठ हरिदास स्कूल	6	–	6
16.	मीना मांटेसरी स्कूल	6	–	6
17.	विवेकानंद विद्या मंदिर	5	–	5
18.	आनंद पब्लिक स्कूल	6	–	6
19.	विजय मैमोरियल पब्लिक स्कूल	4	–	4
20.	सिटी कान्वेंट स्कूल	3	1	4
	योग	**80**	**20**	**100**

रखकर वर्णनात्मक अनुसंधान की आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

9. अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श को दो भागों में बाँटा गया है–

1. जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन की जनसंख्या में आगरा नगर के 20 निजी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 200 अध्यापकों को सम्मिलित किया गया है।

2. न्यादर्श

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श चयन हेतु क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित यादृच्छिक विधि का प्रयोग करके जनसंख्या में निहित आगरा के प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत 200 शिक्षकों की एक वर्णाक्षर क्रम में एक सूची बनाई गई तथा उस सूची में से प्रत्येक दूसरे शिक्षक को न्यादर्श हेतु चयन किया गया है। इसे निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया गया है–

इस प्रकार उपर्युक्त तालिका में दर्शायी गयी कुल जनसंख्या 200 में से चयनित 100 शिक्षक ही हमारा न्यायदर्श है।

10. अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा निम्नांकित उपकरणों का प्रयोग किया गया है–

1. सोलह व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली – प्रस्तुत शोध कार्य में शोधार्थी द्वारा प्रमापीकृत आर.बी. कैटिल (1967) द्वारा निर्मित 16 पी.एफ. फार्म 'ए' प्रश्नावली का हिंदी रूपांतरण (एस.डी. कपूर) प्रयोग किया गया है।
2. मंगल शिक्षक समायोजन सूची – शोधार्थी द्वारा अध्यापकों के समायोजन का मापन करने हेतु डॉ. ए.के. मंगल द्वारा निर्मित मंगल शिक्षक समायोजन सूची का प्रयोग किया गया है।

11. अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित संबंधित प्रविधियों का प्रयोग किया गया है–

मध्यमान– मध्यमान का उपयोग औसत ज्ञात करने व अन्य सांख्यिकीय गणना के लिए किया गया है।

मानक विचलन– प्रदत्तों में निहित विचलनशीलता तथा विभिन्न समूहों की तुलना करने के संदर्भ में मानक विचलन का प्रयोग किया गया है।

टी परीक्षण– टी परीक्षण का प्रयोग दो मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जाँच हेतु किया गया है।

12. शोध कार्य के निष्कर्षों की विवेचना

निष्कर्ष-1

उच्च समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों एवं व्यक्तित्व कारकों के मध्य सार्थक अंतर नहीं है।

विवेचना

उच्च समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापक कक्षा-कक्ष में समायोजित हैं किंतु दोनों समूहों के व्यक्तित्वशील गुणों के मध्यमान में अंतर यह स्पष्ट करता है कि पुरुष अध्यापक महिला अध्यापकों की अपेक्षा कक्षा में अधिक समायोजित हैं। इस बात की पुष्टि **एन. बालसुब्रमण्यन** द्वारा किए गए शोध अध्ययन से स्पष्ट होती है।

निष्कर्ष-2

औसत समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है। व्यक्तित्व कारक 'एफ' और 'ओ' में सार्थक अंतर है।

विवेचना

औसत समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है किंतु व्यक्तित्व 'एफ' और 'ओ' में सार्थक अंतर पाया गया है। दोनों समूह 'एफ' और 'ओ' व्यक्तित्व कारक में अधिक प्रभावशाली हैं। जिन अध्यापकों में उत्साह पूर्णता, स्वाभाविकता, प्रसन्नचित्तता गुण होते हैं वे कक्षा में प्रभावी रूप से समायोजित होते हैं। इस कथन की पुष्टि **डी.रामकृष्णन् तथा ई. मंजूवाणी** द्वारा किए गए शोध अध्ययन से भी स्पष्ट होती है।

निष्कर्ष-3

निम्न समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है। व्यक्तित्व कारक 'सी' और 'क्यू4' में सार्थक अंतर पाया गया।

विवेचना

निम्न समायोजित पुरुष एवं महिला अध्यापक कुल व्यक्तित्वशील गुणों से समान रूप से कक्षा-कक्ष में निम्न समायोजित हैं। किंतु दोनों वर्गों के मध्यमान अंतर से स्पष्ट होता है कि महिला अध्यापक पुरुष अध्यापकों की अपेक्षा अपने व्यक्तित्वशील गुणों से कक्षा में समायोजित है। पुरूष अध्यापक व्यक्तित्व कारक 'सी' और महिलाएं कारक 'क्यू4' में अधिक प्रभावशाली है क्योंकि संवेगात्मक रूप से स्थिर अध्यापक अपने कक्षा-कक्ष की गतिविधियों, पाठ्यक्रमोत्तर गतिविधियों में उचित समायोजित कर लेते हैं। इस बात की पुष्टि **डी. रामकृष्णन् एंड. ई. मंजूवाणी** द्वारा किए गए शोध अध्ययन से स्पष्ट होती है।

निष्कर्ष-4

उच्च समायोजित कम शिक्षण अनुभवी तथा अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है। व्यक्तित्व कारक 'ए', 'एफ', 'एल' और 'क्यू2' में सार्थक अंतर है।

विवेचना

कम शिक्षण अनुभवी तथा शिक्षण अनुभवी अध्यापक समान रूप से समायोजित है क्योंकि विद्यालय में लंबी अवधि से पढ़ाने के कारण व्यक्ति उन परिस्थितियों के साथ समायोजन कर लेता है और कम शिक्षण अनुभवी अध्यापक विद्यालय में अपना स्थान बनाने हेतु अधिक समायोजन करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व कारक 'ए' और 'क्यू2' में अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों में अधिक प्रभावशाली है। इस बात की पुष्टि **लंग एमिली चिऊ चिया** द्वारा किए गए शोध अध्ययन से भी होती है।

निष्कर्ष-5

औसत समायोजित कम शिक्षण अनुभवी तथा अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है।

व्यक्तित्व कारक 'ई' और 'आई' कारक में सार्थक अंतर पाया गया।

विवेचना

औसत समायोजित कम शिक्षण अनुभवी एवं अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापक समान रूप से कक्षा में समायोजित है किंतु दोनों समूहों का मध्यमान अंतर यह स्पष्ट करता है कि कम शिक्षण अनुभवी अध्यापक अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापकों की अपेक्षा कक्षा में अधिक समायोजित हैं। व्यक्तित्व कारक 'ई' में कम शिक्षण अनुभवी तथा कारक 'आई' में अधिक शिक्षण अनुभवी अपने व्यक्तित्वशील गुणों में अधिक प्रभावशाली है।

निष्कर्ष-6

निम्न समायोजित कम शिक्षण अनुभवी तथा अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं है। व्यक्तित्व कारक 'ए', 'ई', 'एच', 'ओ' और 'क्यू2' में सार्थक अंतर पाया गया।

विवेचना

कम शिक्षण अनुभवी एवं अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों में समान रूप से प्रभावशाली है। क्योंकि समायोजन पर व्यक्तित्व कारकों के अतिरिक्त अन्य भौतिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे, कक्षा-कक्ष में उपयुक्त परिस्थिति का अभाव, आवश्यक सामग्री का अभाव इत्यादि जिसके कारण दोनों समूहों का कक्षा में निम्न समायोजन है।

व्यक्तित्व कारक 'ई', 'एच' व 'क्यू2' में अधिक शिक्षण अनुभवी तथा 'ओ' कारक में कम शिक्षण अनुभवी अध्यापक प्रभावशाली है क्योंकि साहस, विश्वास प्रयोग करने की क्षमता शिक्षण में काफ़ी सहायक होती है। दोनों समूहों के मध्यमान अंतर से स्पष्ट हो जाता है कि अधिक शिक्षण अनुभवी अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों में अधिक प्रभावशाली है। इस बात की पुष्टि **चेड स्मॉल** द्वारा किए गए अध्ययन से भी सिद्ध होती है।

निष्कर्ष-7

उच्च समायोजित वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर पाया गया। व्यक्तित्व कारक 'एच' में भी सार्थक अंतर पाया गया।

विवेचना

उच्च समायोजित वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में .05 स्तर पर सार्थक अंतर है। अत: 95% विश्वास स्तर पर कहा जा सकता है कि वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों से कक्षा में उच्च समायोजित है। क्योंकि उनको अपनी योग्यता अनुरूप रोजगार का अवसर मिला हुआ है जबकि अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों को अपने शैक्षिक योग्यता अनुरुप अवसर नहीं मिले हैं।

व्यक्तित्व कारक 'एच' में वांछित योग्यता प्राप्त अध्यापक अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उत्साह, नवीन प्रयोग करने की क्षमता कक्षा में समायोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाते हैं। इस बात की पुष्टि **ए. जोशी और पी. परीजा (2000)** के अध्ययन से भी होते हैं।

निष्कर्ष-8

औसत समायोजित वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों के व्यक्तित्वशील गुणों में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। व्यक्तित्व कारक 'ए', 'जी', 'एन' तथा 'क्यू2' में सार्थक अंतर पाया गया।

विवेचना

औसत समायोजित वांछित शैक्षिक योग्यता तथा अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों से समायोजित है यही कारण है कि दोनों समूहों के मध्यमान में भी अधिक अंतर नहीं है इसके साथ ही व्यक्तित्व कारक 'ए' और 'एन' व 'क्यू2' में अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक तथा 'जी' कारक में वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक भी अधिक प्रभावशाली है।

निष्कर्ष-9

निम्न समायोजित वांछित शैक्षिक योग्यता एवं अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापकों के कुल व्यक्तित्वशील गुणों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। व्यक्तित्व कारक 'बी' में सार्थक अन्तर पाया गया।

विवेचना

निम्न समायोजित दोनों समूह अपने व्यक्तित्वशील गुणों में समान हैं। किन्तु मध्यमान अन्तर से स्पष्ट होता है कि वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक अपने व्यक्तित्वशील गुणों में अधिक प्रभावशाली है क्योंकि वे अपने कार्य स्तर से संतुष्ट है। बी कारक में अधिक शैक्षिक योग्यता प्राप्त अध्यापक अधिक प्रभावशील हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आसवाल, जी.एस., (1993) *शिक्षा मनोविज्ञान*, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली।
2. अग्रवाल, जे.सी., (1991) *एजूकेशन रिसर्च एन इंट्रोडक्शन* आर्य बुक डिपो, न्यू देहली।
3. बुच, एम.बी., (1974) *ए सर्वे ऑफ़ रिसर्च एन एजूकेशन फर्स्ट सर्वे*, सेंटर ऑफ़ एडवांसड स्टडी एन एजूकेशन, एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा।
4. ब्लेयर ग्लेमन मेयर्स, जोन्स आर.स्टीवार्ट, सिंपसन रे.एच., (1965) *एजूकेशन साइकॉलोजी*, द मैकमिलन कंपनी, न्यूयार्क।
5. भट्टाचार्य, श्रीनिवास, (2000) *साइकॉलोजीकल फाउंडेशन ऑफ़ एजूकेशन*, अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली।
6. बेस्ट, जॉन डब्ल्यू, (1963) *रिसर्च इन एजूकेशन*, प्रिंटस् हॉल ऑफ़ इंडिया, न्यू देहली।
7. चौबे, एस.पी. एण्ड, (1988) *एजूकेशन साइकॉलोजी*, लक्ष्मी नरायण अग्रवाल, हॉस्पीटल रोड, आगरा।
8. गुड, सी.बी. एण्ड, (1963) *मैथड्स ऑफ़ रिसर्च*, एप्लीटोन सेंचुरी क्रा.फ्ट, न्यूयार्क।
9. ढोढ़ियाल एवं काव्क, (1972) *शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र*, राजस्थान ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।

10. कैटिल, आर.बी., (1945) *डिस्क्रपशन एंड मेजरमेंट ऑफ़ पर्सनेल्टी*, वर्ल्ड बुक कंपनी, न्यूयार्क।
11. कैटिल, आर.बी., (1991) *एडमिनिस्ट्रेटर्स मैनुअल ऑफ़ द 16 पर्सनेल्टी फैक्टर*, चैम्पेगन इल -इपाट।
12. गुड, कार्टर बी., (1954) *मैथड ऑफ़ रिसर्च, एपलीटन सैन्चुरी कोपटस*, न्यूयार्क।
13. गैरिट, एच.ई., (1970) *स्टेटिस्टिक्स इन साइकॉलोजी एंड एजूकेशन*, लागमेन ग्रीज एण्ड कम्पनी, न्यूयार्क।
14. गुप्ता एस.पी. एंड, (2002) *शिक्षा मनोविज्ञान*, शारदा पुस्तक भवन 11 यूनिवर्सिटी रोड़, इलाहाबाद।
15. कपिल, एच.के., (1994) *सांख्यिकीय के मूल तत्व*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
16. कपिल, एच.के., (1981) *रिसर्च मैथड इन बिहेवियर साईंस*, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
17. कोठारी, एफ.एन., (1990) *रिसर्च मैथडोलॉजी, विश्वा प्रकाशन*, न्यू देहली अंसारी रोड़, दरियागंज।
18. कर्लिंगर, एफ.एन., (2002) *फाउण्डेशन ऑफ़ बिहेवियरल रिसर्च*, सुरजीत पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली।
19. मंगल, एस.के., (1987) *मैनुअल फ़ॉर मंगल टीचर एडजस्टमेंट एनवेंटरी*, नेशनल साइक्लॉजीकल कॉरपोरेशन, कचहरी घाट, आगरा।
20. राय, पारसनाय, (1996) *अनुसंधान परिचय*, सप्तम् संस्करण प्रकाशक लक्ष्मीनराण अग्रवाल, आगरा।
21. शर्मा, आर.ए., (1995) *शिक्षा अनुसंधान*, आर.बुक डिपो, मेरठ।
22. सिद्ध, एस.के., (1987) *मैथडोलॉजी ऑफ़ रिसर्च इन एजूकेशन इंटरलिंग*, पब्लिशर्स प्रा.लि, नयी दिल्ली।
23. यंग, पी.वी., (1996) *साइंटिफ़िक सोशल सर्वे एंड रिसर्च*, एशिया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

❑❑❑

बालमन कुछ कहता है

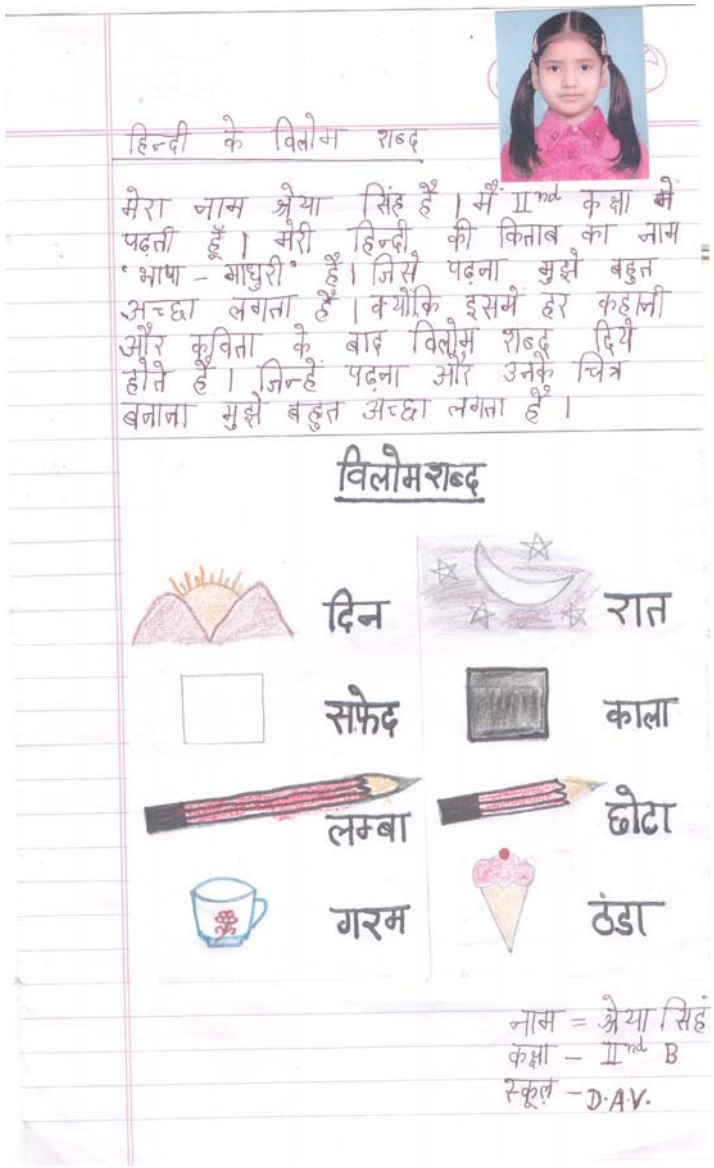

हिन्दी के विलोम शब्द

मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं IInd कक्षा मे पढ़ती हूँ। मेरी हिन्दी की किताब का नाम 'भाषा - माधुरी' है। जिसे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें हर कहानी और कविता के बाद विलोम शब्द दिये होते हैं। जिन्हें पढ़ना और उनके चित्र बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।

विलोमशब्द

दिन रात

सफेद काला

लम्बा छोटा

गरम ठंडा

नाम = श्रेया सिंह
कक्षा – IInd B
स्कूल – D.A.V.

बालमन कुछ कहता है

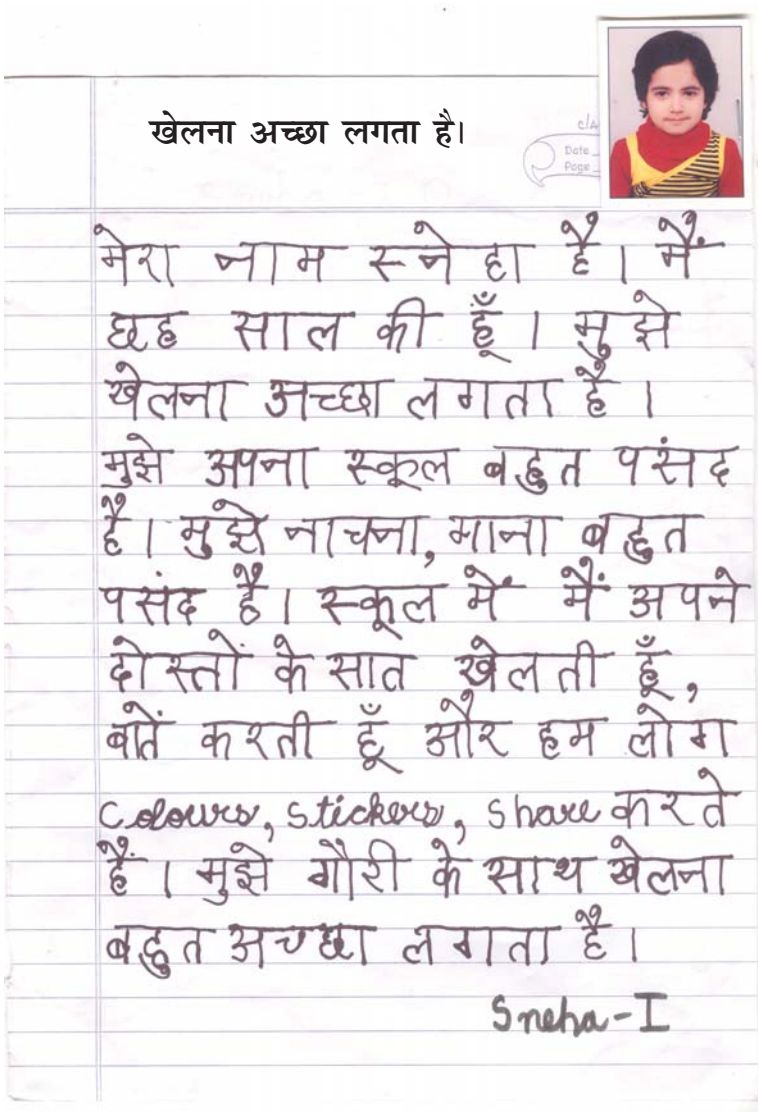

खेलना अच्छा लगता है।

मेरा नाम स्नेहा है। मैं छह साल की हूँ। मुझे खेलना अच्छा लगता है। मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है। मुझे नाचना, गाना बहुत पसंद है। स्कूल में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ, बातें करती हूँ और हम लोग colours, stickers, share करते हैं। मुझे गौरी के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है।

Sneha-I

बालमन कुछ कहता है

मॉनिटर

यह मॉनिटर बने क्लास के,
कोरी शान दिखाते हैं,
क्लास में तो बड़ा रौब है
बाहर धक्के खाते हैं।
झूठी झूठी करे शिकायत,
हमें सबकी पिटवाते हैं।
खुद तो रहे टिप्पी टॉप से,
हम को नीति समझाते हैं।
मीठी मीठी बातों से
अध्यापक को बहलाते हैं।
अध्यापक न होने पर,
खुद शासक बन जाते हैं।
जरा, सा कुछ बोल दिया तो,
नाम हमारा लिखवाते हैं।
छोटी छोटी बातों का,
बतंगड़ खूब बनाते हैं।
मैडम जल्दी बदलो इनको,
हम सब यही चाहते हैं।

नाम - सृष्टि अदूना
कक्षा - द्वितीय
स्कूल - ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका के बारे में

साथियों,

प्राथमिक शिक्षक पत्रिका में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित ऐसे लेख प्रकाशित किए जाते है जो एक शिक्षक के लिए उपयोगी हों। इस पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण सरोकार हैं–

- शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की जानकारी एवं विवेचन
- समसामयिक शैक्षिक शोध एवं अध्ययनों का विवरण
- समसामयिक शैक्षिक चिंतन
- शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के अनुभव
- शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए व्यावहारिक बाल मनोविज्ञान
- शालाओं एवं शिक्षा केंद्रों की समीक्षा
- शिक्षा संबंधी खेल एवं उनकी उपयोगिता
- विभिन्न शिक्षण विधियाँ
- क्रियात्मक शोध और नवाचार
- शिक्षकों के लिए पठनीय पुस्तक के बारे में जानकारी आदि।

कैसे भेजें रचनाएँ

उपरोक्त सरोकारों पर आधारित लेख, संस्मरण, कविताएँ आदि आमंत्रित हैं। कृपया ध्यान रखें कि लेख सरल भाषा में तथा रोचक हों। शोधपरक लेखों के साथ संदर्भ साहित्य की सूची अवश्य दें। लेखों के प्रकाशन के उपरांत समुचित मानदेय की व्यवस्था है। लेखों की त्रुटिरहित टंकित प्रति अगर सी.डी. में भेज सकें तो अच्छा रहेगा। लेख ई-मेल द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। अपने लेख निम्न पते पर भेजें–

अकादमिक संपादक

प्राथमिक शिक्षक

प्रारंभिक शिक्षा विभाग

एन.सी.ई.आर.टी.

श्री अरविंद मार्ग

नयी दिल्ली -110016

ई. मेल- deencert @ yahoo.co.in

कैसे बनें सदस्य

इस पत्रिका के सुचारु रूप से प्रकाशन, प्रचार एवं प्रसार के लिए पाठकों तथा लेखकों का सहयोग अनिवार्य है। इस संदर्भ में आपसे निवेदन है कि इस पत्रिका के स्थायी सदस्य के रूप में अपने विद्यालय, संस्थान अथवा स्वयं को पंजीकृत करवाने का कष्ट करें। इसका वार्षिक सदस्यता शुल्क केवल ₹ 260 है और प्रति कॉपी का मूल्य मात्र ₹ 65 है। आशा है आप इस दिशा में शीघ्र ही निर्णय करके विद्यालय, संस्थान अथवा निजी वार्षिक सदस्यता के लिए कार्यवाही करेंगे। वार्षिक सदस्यता शुल्क-पत्र के लिए अपना पत्र स्वनामांकित लिफ़ाफ़े सहित **बिज़नेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग (एन.सी.ई.आर.टी.) श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली-16** को भेज सकते हैं।